JOIN INDIAN COAST GUARD
(MINISTRY OF DEFENCE)

RECRUITMENT OF ENROLLED PERSONS IN THE INDIAN COAST GUARD THROUGH COAST GUARD ENROLLED PERSONS TEST (CGEPT) –BATCHES 01/2027 & 02/2027

APPLICATION WILL BE ACCEPTED “ONLINE“
FROM 06 OCT (1100 HRS) TO 21 OCT 26 (1730 HRS)
BY
STAFF SELECTION COMMISSION

1. **Eligibility Conditions**. Online applications are invited from MALE and FEMALE INDIAN CITIZENS possessing educational qualifications and age as prescribed below, for recruitment as an Enrolled Person in the Indian Coast Guard through Staff Selection Commission.

2. **Post Wise Educational Qualification**.

2.1. **Navik (General Duty)**. Class 12th passed with Maths and Physics from an education board recognized by Council of Boards for School Education (COBSE).

2.2. **Navik (Domestic Branch)**. Class 10th passed from an education board recognized by Council of Boards for School Education (COBSE).

2.3. **Hygienist-I** Matriculation OR Industrial Training Institute (ITI) OR equivalent from Board of Education recognised by the Central/ State Government.

2.4. **Yantrik**. Class 10th passed from an education board recognized by Council of Boards for School Education (COBSE) **AND** Diploma in Electrical/ Mechanical / Electronics/ Telecommunication (Radio/Power) Engineering of duration 03 or 04 years approved by All India Council of Technical Education (AICTE).

OR

Class 10th & Class 12th passed from an education board recognized by Council of Boards for School Education (COBSE) **AND** Diploma in Electrical/ Mechanical / Electronics/ Telecommunication (Radio/Power) Engineering of duration 02 or 03 years approved by All India Council of Technical Education (AICTE).

Note: - List of equivalent diploma for recruitment in Yantrik cadre in Electrical, Mechanical and Electronics & Telecommunication (Radio/Power) Engineering (Engg) branch as mentioned below:-

Electrical Engineering (Diploma)	**Mechanical Engineering (Diploma)**	**Electronics / Telecommunication (Radio/ Power) Engineering (Diploma)**
Electrical and Electronics (Power System)	Marine Engg/ Marine Engg and Systems	Advanced Electronics and Communication Engg
Electrical and Electronics Engg	Mechanical Engg	Electronic Instrumentation and Control Engg

Electrical and Instrumentation Engg	Mechanical Engg (Production)	Electronics Engg
Electrical and Mechanical Engg	Mechanical Engg (Automobile)	Electronics (Fibre Optics)
Electrical Engg	Mechanical Engg (Refrigeration and Air Conditioning)	Electronics and Communication Engg
Electrical Engg (Electronics and Power)	Mechanical Engg (Repair & Maintenance)	Electronics and Electrical Engg
Electrical Engg (Industrial Control)	Production Engg	Electronics and Telecommunication Engg
Electrical Engg (Instrumentation and control)	Ship building Engg	
Electrical Power System Engg		

Note: 1. Candidates are to fill marks of all subjects as mentioned in their marksheet while filling the online application. Incorrect or incomplete filling of marks in the online application will lead to cancellation of candidature.

2. Candidates applying for post of Yantrik and not in possession of original diploma certificate prior Stage-II recruitment process has to mandatorily bring and upload provisional certificate duly signed by College/University Head during conduct of Stage-II recruitment. However, it is mandatory to bring Original Diploma certificate during conduct of Stage-III. If not in possession of Original documents at Stage-III then their candidature will be cancelled.

3. **Age.** The relevant dates are provided below.

3.1. **Navik (GD)** for **01/27 & 02/27 batch** Candidate should be born between 01 Nov 2005 to 01 May 2009.

3.2. **Yantrik** for **01/27 batch** Candidate should be born between 01 May 2005 to 01 May 2009.

3.3. **Navik (DB)** for **02/27 batch** Candidate should be born between 01 Nov 2005 to 01 Oct 2009.

3.4. **Hygienist-I** for **02/27 batch** Candidate should be born between 01 Nov 2002 to 01 Oct 2009.

3.5. Age relaxations applicable for respective categories are as follows: -

Ser.	**Category**	**Relaxation**
1.	OBC	03 years
2.	SC/ST	05 years

4. **Vacancy** The tentative vacancies for each batch is as follows: -

4.1. **CGEPT-01/27 batch**

4.1.1. Both Male and Female candidates can apply for the post of Navik (General Duty). The vacancies are as follows: -

Post	**Gender**	**UR(GEN)**	**EWS**	**OBC**	**SC**	**ST**	**Total**
Navik (General Duty)	Male	44	11	36	14	12	117
	Female	08	01	03	01	00	13

4.1.2. Only Male candidates can apply for these posts

Post	UR(GEN)	EWS	OBC	SC	ST	Total
Yantrik (Mechanical)	09	02	05	05	07	28
Yantrik (Electrical)	10	02	05	03	03	23
Yantrik (Electronics)	05	00	01	02	01	09

4.2. **CGEPT-02/27 batch**

4.2.1. Both Male and Female candidates can apply for the post of Navik (General Duty). The vacancies are as follows: -

Post	Gender	UR(GEN)	EWS	OBC	SC	ST	Total
Navik (General Duty)	Male	48	11	36	14	08	117
	Female	05	01	04	02	01	13

4.2.2. Only Male candidates can apply for these posts

Post	UR(GEN)	EWS	OBC	SC	ST	Total
Navik (Domestic Branch)	11	02	07	05	00	25
Hygienist-I	09	01	05	05	00	20

Note:- 1. Zone wise recruitment will be carried out for Navik(GD) for male candidates i.e. the vacancies will be distributed across five zones. Separate merit list will be prepared for each of the five zones. The details of states covered under various zones are as follows: -

1.1. **North** – Jammu & Kashmir, Ladakh, Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chandigarh.
1.2. **West** – Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Goa, Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu.
1.3. **East** – West Bengal, Assam, Tripura, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim, Odisha.
1.4. **South** – Andhra Pradesh, Telangana, Andaman & Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, Lakshadweep.
1.5. **Central** – Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar.

2. These zone wise vacancies will be reflected/ noticed while registration If there is no vacancy reserved for SC/ ST/ OBC (non-creamy)/ EWS category in a particular zone then such candidates may apply as unreserved candidates. Such candidates then will not be eligible for any age concession or passing marks relaxation or exemption from application fee and reimbursement of travel fare.

3. **Recruitment for the posts of Navik (GD) female, Yantriks, Navik(DB) & Hygienist-I will be on All India basis**.

4. **The zone wise/ All India vacancies are tentative and may change.**

Selection Procedure

5. The selection of candidate is based on their performance in Stage-I, II, III & IV (explained in detail in subsequent paras), meeting the laid down medical standards during medical examination and the number of vacancies available for the post in respective batch. Qualification in Stage-I, II, III, IV is compulsory for recruitment in ICG. The selection of candidates for the post of Yantriks will be only for CGEPT-01/27 and for Nvk(DB) & Hygienist-I will for CGEPT-02/27. However, **selection of candidates for the post of Navik(GD) in either CGEPT-01/27 or CGEPT-02/27 batch will be based on order of merit, available vacancies and administrative requirement**. Candidates cannot claim their selection in a particular batch. All candidates will be compulsorily subjected to identity check prior commencement of the examination of Stage- I, II & III of CGEPT. The identity check will include verification/ matching of following at all stages of selection procedure: -

5.1. **Live Image Capture during Registration** – The candidate has to upload the latest photograph during registration. Additionally, live image of the candidate will be captured during the registration. The facial features of the candidate in the uploaded photo will be matched against the Real-time photo. Moreover, the real time photo of the candidate captured during the registration of online application form and the photograph of candidate in application form will be matched with facial features/ physical appearance of the candidate in all subsequent Stages.

5.2. **Biometric**

5.2.1. Only left thumb biometric will be captured at the Stage-I recruitment before the online exam. In case the biometric of left thumb is not captured during Stage-I then the biometric of right thumb will be captured and will be used for subsequent verification. Apart from left and right thumb, no other finger will be considered for the biometric.

5.2.2. It is the candidates' responsibility to check beforehand that the biometric machines are able to capture the fingerprint image. In case, if the biometric machine is not able to capture the fingerprint image due to Mehndi, wax, etc. then, the candidate will not be allowed to appear in the examination.

5.2.3. Signature as uploaded in online application.

5.2.4. Identification mark as mentioned in online application.

Note: Failure in even one of the above-mentioned identity check at any stage will lead to cancellation of candidature.

6. The details of various stages of CGEPT examination are as follows: -

6.1. **Stage- I (Computer Based Online Examination)**

6.1.1. **Identity verification** At Stage-I candidates' identity will be checked against the details filled by candidate in online application. The candidates will be required to bring following documents for verification while reporting at their respective examination centre: -

6.1.1.1. Valid original Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport) as submitted/ uploaded in online application. The candidates possessing Aadhaar Card are to upload the Aadhaar Card as first option for identity proof while filing the online application.

6.1.1.2. One printout of E-admit card (B&W printout of E-admit card will be accepted provided the candidate's photograph, QR codes and all other details are clearly visible/ legible.)

6.1.1.3. Two in no. passport size colour photographs same as uploaded in online application.

Note: Candidates are to bring the Identity document which they have uploaded for the purpose of identity verification in the online application. The details of candidate (Name, Identity proof details, Date of Birth) mentioned in online application & E-admit card will be matched with the same Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport) as uploaded by candidate in online application. Any discrepancy in Name/ Date of Birth/ Identity Card Number/ Photograph in above documents with respect to information filled in online application & E-admit card will lead to cancellation of candidature. It is to be noted that no other document will be checked at Stage-I and it is only a preliminary basic identity verification.

6.1.2. **Biometric Recording**. Candidates who clear identity verifications will undergo biometric recording at Stage-I. The biometric data captured at Stage-I will be verified/ recaptured at all subsequent stages.

6.1.3. **Computer Based Examination** A computer based exam (CBE) with a total of 100 questions each carrying 01 marks will be conducted. The question paper will be bilingual (Hindi & English) and objective type (Multiple Choice Questions). Duration of examination will be one hour. There will be no negative marking for wrong answers. Detailed syllabus is available at portal.

6.1.3.1. The passing marks criteria for all posts for respective categories are as follows: -

Ser. No.	**Category**	**Passing marks**
1.	UR/EWS/OBC	40
2.	SC/ST	35

6.1.3.2. **Normalisation of Marks**. If exam is conducted in multiple shifts, marks scored by candidates will be normalised and these normalized scores will be used to determine final merit and cut-off marks.

6.1.3.3. Result of Stage-I shall be uploaded on the candidate's dashboard.

6.2. **Stage-II (Recruitment Process at Recruitment Centres specified by ICG)** Based on performance in Computer Based Online Examination and the handling capacity of ICG Recruitment Centres candidates will be shortlisted for Stage-II and provisional E-admit card will be issued. The Stage-II of candidates shortlisted for CGEPT-01/27 & CGEPT-02/27 batches will be held conjointly. **To download E-admit card, candidates are required to upload additional documents as mentioned in para 7.5. and select preferred date & centre within a given period. Failure to upload additional**

documents or submit date/centre choice within the time frame promulgated by ICG will lead to cancellation of candidature. Allocation of date & centre for Stage-II exams will be on "first come first serve basis. Candidates will be given the option to select date and centre. Date & centre where seats are available will be shown to the candidates for selection.". The duration of Stage-II is 1-2 days and will be conducted at allocated centre. Stage-II involves following examination which are only qualifying in nature.

6.2.1. **Basic Identity and Biometric Verification** All the candidates reporting for Stage-II will be allowed to enter ICG recruitment centres post basic identity check at the entrance gate and further subjected to Biometric Verification as explained in Para 5 above. Candidates whose identity cannot be verified at the entrance gate will not be allowed to enter ICG recruitment centres and subsequently they will be disqualified from recruitment process.

6.2.2. **Physical Fitness Test (PFT).** Candidates undergoing PFT will do so at their own risk. All candidates are advised to be in possession of sports rig (Shoe, T-shirt, Trouser etc). The PFT consists of: -

Ser. No.	**Gender**	**Timings for 1.6 Km run**	**Squats (Uthak-Baithak)**	**Push-ups**	**Bent Knee Sit-ups**
1.	Male	06 min 30 sec	20	15	15
2.	Female	08 min	15	10	10

Note. All four tests of PFT will be carried out in continuity without any break. Any break in these tests will lead to failure in PFT.

6.2.3. **Assessment & Adaptability Test**. Candidates qualified in PFT will undergo a online/ OMR based examination to qualify for further stages of Stage-II recruitment process. This test is qualifying in nature and the marks obtained will not be included in final merit list. The result will be announced at the venue after the conduct of examination.

6.2.4. **Document Verification**. All information provided in online application has to match with all original documents produced by the candidate like Class 10th /Class 12th / Diploma marksheet Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport)/ category certificate/ individual subject and aggregate marks/CGPA (as applicable)/Domicile Certificate. **The candidates will be declared either Pass or Fail in document verification**. Any mismatch/ inconsistency/ error with information provided by the candidate in application form, uploaded document and original documents produced for verification at Stage-II with the documents in respect to "Name, Date of birth, Parent's name, subject wise marks/ CGPA (as applicable), validity of documents, category certificate details, Domicile Certificate etc." will lead to rejection in document verification. **The date of issue of all documents has to be on or before the closing date of application**. The validity of all uploaded documents has to be at least up to **31 Dec 27**. Any false declaration in the online application will lead to cancellation of candidature. Document Verification shall be conducted at multiple stages. Any mismatch, inconsistency, discrepancy or submission of false/ fabricated documents at any stage shall render the candidate liable for cancellation of candidature including after enrolment, in accordance with applicable rules.

6.2.5. **Recruitment Medical Examination**. The Recruitment Medical Officer will assess the candidates for medical fitness as per laid down medical standards and declare them fit or unfit.

All the candidates who have qualified document verification will be subjected to recruitment medical examination. Candidates who are found medically unfit in Recruitment Medical Examination and who wish to appeal will be immediately referred to the designated military hospital (allocated by ICG). **The candidates are to report to the designated AFMS hospital within 14 days of completion of Recruitment Medical Examination.** The appeal medical examination will be considered as final and the candidate will have no right for further appeal at any other or same hospital again.

Note: 1. Candidates declared fit in recruitment medical examination at Stage-II recruitment centre, may be disqualified in document verification during the further scrutiny of the documents by ICG as the document verification is carried out at multiple stages even after the conduct of Stage-II and prior publishing the final merit/ result.

2. The Recruitment Medical Officer and the specialist doctors of Armed Forces Hospitals (allocated by ICG) are the final authorities on declaring a candidate fit or unfit during recruitment medical examination, appeal medical examination and medical examination prior to enrolment.

6.2.6. **Preparation of Final Merit List for Stage-III**. ICG may carry out the re-verification (in the absence of candidates) of documents submitted by candidates and only those candidates will be considered for merit preparation who will finally qualify the document verification and declared fit in recruitment/ appeal medicals. Merit list {Zone wise & category wise) for Nvk(GD) MALE and all India (category wise) for Nvk(GD) FEMALE, Yantriks, Navik(DB) & Hygienist-I will be prepared for candidates who have qualified all the Stages and meeting the requisite criteria as mentioned in this advertisement. Shortlisting of candidates for the post of Navik(GD) in either CGEPT-01/27 or CGEPT-02/27 batch will be based on order of merit and available vacancies. Candidates cannot claim their selection in a particular batch. The candidates' order of merit will only be based on marks scored in Stage-I, qualification in all phases of Stage-II and number of available vacancies. Assessment test marks shall not form part of the final merit but shall be used only for breaking a tie. The tie-Breaking Rule in Merit, in case of two or more candidates having the same marks in Stage-I, is as follows (wherever tie is broken next stage will not be preceded): -

6.2.6.1. Candidate older in age will be higher in merit.
6.2.6.2. Candidate scoring more marks in Assessment Test.

Note: - Candidates applying under SC/ ST and desirous to have their fare reimbursed are to bring original category certificate and two photocopies of self-attested SC/ ST certificate, original train/ bus ticket, cancelled cheque leaf for NEFT payment and travel form downloaded from website for claiming the Travel Allowance during Stage-II. No request for claiming the travel allowance will be entertained post completion of Stage-II exam or at any later Stage.

6.3. **Stage – III**. The candidates who qualify Stage-I & Stage-II and stand in merit as per the vacancies available will be provisionally shortlisted for reporting at INS Chilka and will be issued with provisional E-admit card. The Stage-III will be conducted separately for each cadre in respective batch i.e. Navik(GD) & Yantriks in CGEPT-01/27 and Navik(GD), Navik(DB) & Hygienist-I in CGEPT-02/27 batch. The duration of Stage-III is 1-2 days. Further, as INS Chilka is a Naval training establishment, verification procedure at training base in vogue are applicable for ICG candidates. Stage-III involves following: -

6.3.1. **Basic Identity Check: -** All candidates reporting for Stage-III of recruitment at INS Chilka will be subjected to Aadhaar based identity verification. Changes made in demographic details (Name, date of birth, physical appearance) in Aadhaar during last two years will be scrutinised. In case of any discrepancy or mismatch:

6.3.1.1. Candidates must submit valid supporting documents.
6.3.1.2. Bonafide changes may be considered upon submission of an affidavit.
6.3.1.3. In case of suspected fraud or absence of valid proof, candidature shall be liable for cancellation.

6.3.2. **Document Verification**. All information provided in online application has to match with all original documents produced by the candidate like Class 10th/ Class 12th/Diploma marksheet/Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport)/ Domicile Certificate/ category certificate/ individual subject and aggregate marks or CGPA as applicable. Any mismatch/ inconsistency/ error with information provided by the candidate in application form, uploaded document and original documents produced for verification with the documents in respect to “Name, Date of birth, Parent’s name, validity of documents, category certificate details etc.” will lead to rejection in document verification and the candidature will be cancelled. The date of issue of all documents has to be on or before the closing date of application. The validity of all uploaded documents has to be at least up to **31 Dec 27**. Any false declaration in the online application will lead to cancellation of candidature.

6.3.3. **Pre-Enrolment Medicals at INS Chilka**. The Pre-enrolment medical examination of all selected candidates will be done by the Recruitment Medical Officer at INS Chilka. The conduct of Pre-enrolment medical examination will depend on the time gap between recruitment medical examination conducted during Stage-II and date of reporting of candidates at INS Chilka. Candidates who are found medically unfit and who wish to appeal will be immediately referred to a designated military hospital (either INHS Nivarini or INHS Kalyani) as allocated by medical authorities at INS Chilka. **Such candidates are to report to the designated Military Hospitals and complete the appeal medicals within a maximum period of five working days as part of the appeal medical examination.** The appeal medical examination will be considered as final and the candidate will have no right for further appeal at any other or same hospital again.

6.3.4. **Submission of Documents** All candidates are to submit original documents, police verification forms and other associated forms along with the E-admit card at Stage-III. Candidates should be in possession of police verification from either place of domicile or place of present residence which should have been obtained after last date of submission of application form. Candidates without verified police verification reports or reports with adverse comments will not be eligible for enrolment.

6.4. **Stage–IV**. Stage-IV shall comprise verification/ authentication of original educational and other documents submitted during Stage-III with the concerned Boards/ Universities/ State Government authorities. Candidate will be terminated from service if documents are reported as not genuine by respective Boards/Universities/State government.

7. **How to Apply**.

7.1. Applications will be accepted **'Online only' from 06 OCT (1100 HRS) TO 21 OCT 26 (1730 HRS)**. Candidates are to login to www.ssc.gov.in and follow the instructions for registering themselves. **The candidates are to remember their registered E-mail ID and mobile number as the same would be**

encrypted in application form. If the candidate forgets E-mail ID or mobile number, then it would not be possible to login in candidate's dashboard and neither would he be able to download E-admit card or see his result and ICG would not be responsible for this. No request for retrieving the registered E-mail ID or mobile number will be entertained.

7.2. Candidates are directed to abide by guidelines for filling application form as mentioned on registration portal.

7.3. Candidates shall abide by Frequently Asked Questions (FAQs) available on portal.

7.4. The candidate may apply for only **one post.** If a candidate fills multiple applications during a particular recruitment cycle, only the latest filled application submitted by the candidate shall be considered and all previously filled applications will be rejected. However, the examination fees for multiple applications filled will not be refunded. Online application will be further scrutinised for eligibility and may be rejected at any stage if found ineligible in any respect. For any query regarding online application, the candidate can contact through e-mail at support@parikshasaarthi.in and telephone number 7620207872.

7.5. **Documents to be uploaded during various stages of recruitment**. The candidates shall be required to upload documents in two phases. Only scanned copies of the original documents shall be uploaded; photocopies or self-attested photocopies shall not be accepted.

7.5.1. **Compulsory Documents to be uploaded by all candidates during filling of online application prior Stage-I**.

7.5.1.1. Passport size recent colour photograph **(should not be older than three months prior to the date of opening of application)** as per the specifications mentioned on registration portal.

7.5.1.2. **Live Image Capture during Registration** – Live image of the candidate will also be captured during the registration. The facial features of the candidate in the uploaded photo will be matched against the Real-time photo. The candidate will be able to submit the application, if the live photo and uploaded photo are matching.

7.5.1.3. Candidate's scanned signature image.

7.5.1.4. Date of Birth proof (Class 10^{th} marksheet **OR** Birth Certificate).

7.5.1.5. Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport).

7.5.1.6. Service Certificate/ NOC if candidate is serving ICG Personnel or civilian.

7.5.1.7. A valid Domicile Certificate is to be uploaded by all the candidates applying for the post of Nvk(GD) MALE to determine the zone of candidate for zone wise recruitment. **In states where both certificates i.e. Domicile and Resident certificates are issued, only Domicile Certificate will be accepted.**

7.5.1.8. Candidate applying for the post of Navik (GD) FEMALE, Yantriks, Navik(DB) & Hygienist-I is required to upload domicile certificate only if they require relaxations in medical standards viz. Height.

7.5.2. **Documents to be uploaded if shortlisted for Stage-II**. If the candidate is shortlisted for Stage-II recruitment procedure, then he/ she will be required to upload following certificates: -

7.5.2.1. **All Candidates** for all posts

7.5.2.1.1. Category Certificate {SC/ST/OBC (Non-Creamy layer)/EWS}.

7.5.2.1.2. NOC from Govt Organisation if the candidate is employed. NOC should be dated on or after the date of publication of the advertisement.

7.5.2.2. **Hygienist -I candidates (in addition to 7.5.2.1)**.

7.5.2.2.1. Class 8^{th} marksheet.

7.5.2.2.2. Class 10^{th} marksheet (if completed).

7.5.2.2.3. Class 10^{th} certificate (if completed).

7.5.2.2.4. ITI certificate & marksheet.

7.5.2.3. **Navik (DB) candidates (in addition to 7.5.2.1)**.

7.5.2.3.1. Class 10^{th} marksheet.

7.5.2.3.2. Class 10^{th} certificate.

7.5.2.3.3. Additional marksheet of Class 10^{th} (if applicable).

7.5.2.4. **Navik (GD) candidates (in addition to 7.5.2.1 and 7.5.2.3)**.

7.5.2.4.1. Class 12^{th} marksheet.

7.5.2.4.2. Class 12^{th} certificate.

7.5.2.4.3. Additional marksheet of Class 12^{th} (if applicable).

7.5.2.5. **Yantrik candidates (in addition to 7.5.2.1 and 7.5.2.3.)**.

7.5.2.5.1. Class 12^{th} marksheet (if completed).

7.5.2.5.2. Class 12^{th} certificate (if completed).

7.5.2.5.3. Marksheet of all years/ semesters of diploma.

7.5.2.5.4. Diploma Passing Certificate.

7.5.2.5.5. Additional mark sheet of Class 12^{th} /Diploma (if applicable).

Note: 1. In case of SC/ ST/ OBC (Non Creamy Layer)/ EWS applicants, availing their respective quota then either current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in category certificate {SC, ST & OBC (Non-Creamy)/ EWS}.

2. EWS certificate shall be as per **Govt. of India format.**

3. **OBC (Non-Creamy Layer) certificate of candidates should be as per format for appointment for post under the Govt. of India** and should bear QR/ bar code for subsequent online verification. The caste certificate should specifically mention that the candidate does not belong to person/sections (Creamy Layer) as mentioned in relevant government orders.

4. Additionally, the OBC candidates must produce a valid and latest OBC (Non-Creamy Layer certificate.

5. The size of all documents to be uploaded as per specifications mentioned in portal.

6. The date of issue of all uploaded documents {SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer)/ EWS/Mark sheets/Education Certificates/Identity Proof/Domicile Certificate} during online application and document uploaded on being shortlisted for Stage-II has to be on or before **closing date of application** and the validity of all documents has to be at least up to **31 Dec 27** during document verification.

7. All Documents uploaded must be in Hindi or English. Candidate to upload both original and English translation of document if document is in any language other than English or Hindi.

8. Applications with blurred photograph, signature and uploaded documents will be rejected during document verification. The clarity of images in uploaded documents is mandatory. Any discrepancy or anomaly in clarity of images of uploaded documents in the online application will lead to cancellation of candidature. The documents uploaded are to be legible, readable and complete or else, the candidature will be rejected. The complete document is to be scanned and uploaded e.g. if Date of Birth Certificate or Category Certificate or Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport) or Class 10th or Class 12th has two or more pages then all the pages are to be merged in one file and uploaded in the online application. Incomplete or partially scanned document uploads will lead to cancellation of candidature.

8. **Examination Fee**. Candidates (except for candidates entitled and desirous of applying in vacancies for SC/ ST category, who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee of **Rs. 550/-(Rupees Five Hundred and Fifty Only)** through online mode by using net banking or by using Visa/ Master/ Maestro/ Debit Card/ UPI. E-admit card will be issued for the examination only to those candidates who have successfully paid the examination fee and who are entitled for waiver of examination fee.

Note:

1. Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

2. Candidates applying for vacancies under SC/ST category are entitled for waiver of examination fee. Candidates are liable to be discharged/ rejected at any stage of recruitment/ training if it is found that false SC/ST certificate has been produced to claim waiver of examination fee/ other concessions as applicable.

3. In case candidate has made an online payment of fee and money has been deducted from the account (i.e. unsuccessful payment), please check whether fees is auto refunded to the transaction originating account or please wait for 15 working days for automatic refund of money to your account and check transaction status in originating account.

4. If multiple payments are received from a candidate against single application, then that will not be refunded.

9. **Examination City**. The candidate is to give preferences for examination city in the application for Stage-I process. Candidates are to fill first choice nearest from the present/ communication residence. Candidate will be given an option to select date & centre for Stage-II examination on being shortlisted for Stage-II. Examination centre of both Stage-I & Stage-II once allocated will not be changed under any circumstances.

Note: Indian Coast Guard reserve the right to allot examination city for Stage-I & Stage-II which may or may not be as per the choice of candidate.

10. The tentative schedule for examination is as follows: -

Batch	Tentative Dates for Examination		
	Stage-I	Stage-II	Stage-III
CGEPT-01/27	Early/ Mid Nov 2026	End Feb 2027	Early May 2027
CGEPT-02/27			Mid Oct 2027

Note: 1. ICG will announce the date when E-admit cards are available for download for Stage-I, II & III. Candidates are directed to regularly login into respective login IDs to download the E-admit card for various stages and for other information.

2. Failure to download the E-admit card and non-reporting for various recruitment stages will lead to cancellation of candidature. ICG will not be responsible if the candidate fails to regularly check the important recruitment communication on a daily basis.

11. **Result Declaration**.

11.1. The result of each stage of selection procedure from Stage-I to Stage-III can be accessed by logging in to the candidate's account. Further, candidates involved in malpractice in Stage-I, II & III will not be informed of their marks scored and cut-off of the respective post and category will not be displayed.

11.2. The result of Stage-III of the batches i.e. CGEPT-01/27 & CGEPT-02/27 will be declared separately and the same will be available in candidate's dashboard which can be accessed by logging in their login ID.

12. List of Documents Required at Each Stage. Candidates to bring their original documents at all stages of CGEPT examination.

12.1**. Stage-I**

12.1.1. Valid original Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport) as submitted/uploaded in the online application.

12.1.2. One printout of E-admit card (B&W printout of E-admit card will be accepted provided the candidate's photograph and all other details are clearly visible/ legible.)

12.1.3. Two in no. passport size colour photograph with similar facial features as uploaded in the online application.

12.2. **Stage-II**

12.2.1. Printout of "Online application and E-admit card of Stage-I & Stage-II". (B&W printout will be accepted provided the candidate's photograph and all other details are clearly visible/ legible.)

12.2.2. Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport) as submitted/uploaded in online application.

12.2.3. Original documents submitted/ uploaded in online application form and candidate's login after being shortlisted for Stage-II.

12.2.4. 02 photocopies of all original documents duly self-attested.

12.2.5. 12 passport size colour photographs, same as submitted in online application with similar facial features.

12.2.6. Service certificate/ NOC for ICG in original and 02 self-attested photocopies from the employer for candidates presently serving in any government organization or PSU (if applicable).

12.2.7. For SC/ST candidates only: - Additional one printout of E-admit card, original category certificate and two photocopies of self-attested SC/ST certificate, original train/ bus ticket, cancelled cheque leaf for NEFT payment and travel form downloaded from website for claiming TA. No fare for taxi or any other conveyance will be permitted.

12.3. **Stage-III**

12.3.1. Printout of "Online application and Stage-III E-admit card". (Printout will be accepted provided the candidate's photograph and all other details are clearly visible/ legible).

12.3.2. Original of the documents submitted/uploaded in online application form and candidate's login after being shortlisted for Stage III.

12.3.3. 03 photocopies of all original documents duly self-attested.

12.3.4. 30 passport size colour photographs as submitted in online application with similar facial features.

12.3.5. 10 Colour photographs measuring 3.5 cms x 2.5 cms with blue background.

12.3.6. Parental willingness certificate - (one copy original & 02 Xerox copies).

12.3.7. Police verification certificate - (one copy original & 02 Xerox copies).

12.3.8. Family particular certificate - (one copy original & 02 Xerox copies).

12.3.9. Character certificate - (one copy original & 02 Xerox copies).

12.3.10. Willingness certificate - (one copy original & 02 Xerox copies).

12.3.11. Attestation form (with cadre name) – (03 copies original).

12.3.12. NOC in original with four self-attested photocopies alongwith vigilance clearance certificate from the employer for candidates presently serving in any government organisation or public sector undertaking. On confirmation of induction, discharge certificate is to be provided prior commencement of training.

12.3.13. Identity proof (Aadhaar Card **OR** PAN Card **OR** Voter ID card **OR** Driving License **OR** Passport) as submitted/uploaded in online application.

Note: Aadhaar Card and mobile number linked with Aadhaar Card is mandatory at Stage-III for opening of bank account and generation of Permanent Retirement Account Number.

13. **Medical Examination and Standards**.

13.1. Medical examination will be conducted by authorized **Medical Officers of Defence Forces** as per medical standard prescribed in current regulations applicable to Enrolled Persons on entry.

13.2. Mandatory Medical Standards

13.2.1. **Height** Minimum height standard for male candidates is 157 cms and for female candidates is 152 cms. Height standards may be reduced by up to 05 cms for candidates having domicile of Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Garhwal, Kumaon and Sikkim. Reduction of 05 cm is also applicable to Gorkhas. Height standards may be reduced by upto 02 cms for candidates having domicile of Ladakh, Lakshadweep & Minicoy Islands and Andaman & Nicobar Islands.

13.2.2. **Chest** Chest wall should be well proportioned and well developed. Minimum chest circumference for male candidate should be 77 cm with chest expansion of atleast 05 cm. For female candidates the chest should be well proportioned with minimum expansion of 05 cm.

13.2.3. **Weight** Proportionate to height and age as applicable for ICG.

13.2.4. **Hearing**. The candidate should have normal hearing i.e. able to hear focused whisper from a distance of 06 m by each ear separately.

13.2.5. **Tattoo** Permanent body tattoos are not permitted on any part of the body. However, certain concessions are permitted to candidates belonging to tribal areas communities as declared by the Govt. of India. For other candidates, permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearms i.e. from inside of elbow to the wrist and on reverse side of palm/back (dorsal) side of hand.

13.2.6. **Dental** Should have healthy gums, good set of teeth and minimum 14 dental points.

13.2.7. **General Health** Candidate should be fit for the Armed forces, must conform to the medical standards. Candidate should be of normal anatomy without loss or deformity of any appendages. He/ She should be free from any active or latent, acute or chronic, medical or surgical disability or communicable disease, infection and skin ailments. Candidate shall be physically and mentally FIT to perform duty in any part of the world, in any climate and terrain places.

13.2.8. **Gender** Any candidate if found to have predominant characteristics of the opposite gender as evident on external physical examination, will be rejected as unfit. Any candidate having undergone gender reassignment surgery will be declared Unfit.

13.2.9. **Pregnancy (for female candidates only)** Any candidate, if found to be pregnant shall be disqualified and her candidature will be rejected.

13.2.10. **Gynaecological Examination (for female candidates only)** The examination covers external genitalia, hernia orifices and the perineum. Any evidence of stress urinary incontinence or genital prolapse outside introitus shall lead to disqualification of the candidate.

13.2.11. **Visual Standards** The visual standards are provided below.

13.2.11.1. General Duty Branch - 6/6 (Better eye) and 6/9 (Worse eye)

13.2.11.2. Domestic Branch - 6/36 (Better eye) and 6/36 (Worse eye)

13.2.11.3. Technical Branch (Yantriks) - 6/24 (Better eye) and 6/24 (Worse eye)

13.2.11.4. Hygienist 6/60 (Better) 6/60 (Worse) without glasses. 6/9 (Better) 6/24 (Worse) with glasses.

13.2.11.5. Candidates using glasses are not eligible for GD Branch.

Note: 1. Candidates are advised to get their ears cleaned for wax and tartar removed from teeth prior to medical examination.

2. The candidates claiming height relaxation are to submit domicile certificate to the medical Officer. Failure to submit the domicile certificate will lead to non-waiver of height relaxation.

3. No waiver will be given for laid down medical standards. The Indian Coast Guard (ICG) order on medical standard will be the final authority.

14. **Training**. The basic training for CGEPT – 01/2027 batch will commence in May 2027 and CGEPT-02/2027 will commence in Nov 2027 at INS Chilka followed by sea training and professional training in allotted trade. Branch/ trade will be allocated as per requirement of service and performance during basic training. The candidates are liable to be discharged as UNSUITABLE if their progress (including academic) or conduct is unsatisfactory at any time during training. Further, at any stage of training or service, if the online application or any document furnished by individual is found to be falsified, the individual shall be liable to be discharged from ICG service.

15. **General Instructions (To be followed by candidate failing which candidature will be cancelled)**.

15.1. Candidates withdrawn on disciplinary grounds from any other or Government service training establishments are not eligible to appear.

15.2. Candidates who have been arrested, convicted or against whom criminal proceedings, investigation, enquiry or trial is pending before any court or law enforcement agency shall disclose full details of the same in the application form and at the time of document verification. Candidates shall also disclose details of any FIR registered against them, whether or not the case resulted in conviction. Suppression or concealment of any such information shall render the candidature liable to cancellation at any stage of recruitment process.

15.3. A candidate who is arrested, convicted or against whom an FIR is registered or criminal proceedings are initiated during recruitment process shall immediately inform the Indian Coast Guard through the prescribed channel. Failure to disclose such information, furnishing false or incomplete information or concealment of material facts shall render the candidature liable to cancellation. Such cancellation may be effected at any stage of recruitment or subsequently, if the suppression or misrepresentation comes to notice after enrolment.

15.4. All original certificates and marksheets produced at the time of Stage-II will be returned to candidate post verification. All original certificates and marksheets produced at the time of Stage-III will be retained by ICG if cleared Stage-III or returned to candidate post verification if declared fail.

15.5. The candidate's selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only. Qualified candidates whose names do not appear in the final merit list cannot claim admission for next batch. These candidates will have to undergo the selection procedure afresh provided that they meet the eligibility criteria for fresh batch.

15.6. Applications received by post will not be accepted.

15.7. E-admit card for Stage-III will be forwarded only to candidates qualifying Stage-II and standing in merit as per vacancies. Such candidates will be required to reach training establishment i.e. INS Chilka at their own expense on the date given on their Stage-III E-admit card. Late reporting on any ground will not be accepted.

15.8. No enquiry will be entertained regarding recruitment/ enrolment for this batch after 31 Dec 2027.

15.9. Indiscipline activities including copying/ malpractice etc. during the testing procedures will also result in disqualification. The decision of ICG would be final and binding on all candidates with regard to copying/ malpractice.

15.10. Indian Coast Guard takes impersonation very seriously during recruitment process. FIR/criminal proceedings will be initiated against both the applicant and the proxy candidate.

15.11. No candidate should misbehave in any manner or create disorderly scene in examination premises. Candidate misbehaving in any manner will be debarred from appearing in the current and future examination of ICG. The decision of the Indian Coast Guard as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the Computer Based Online examination (Stage-I), Assessment test /PFT /recruitment medical (Stage-II), Document verification/pre-enrolment medicals at INS Chilka (Stage-III), verification of original documents (Stage-IV) shall be final and binding on the candidate. Candidates whose candidature was cancelled on account of malpractice/misbehaviour in previous batches are ineligible to apply.

15.12. The application and original documents will be further scrutinised for eligibility prior to enrolment and may be rejected if found ineligible in any respect at any stage of recruitment and even after induction in service.

15.13. Candidates from "Open Schools" institutes not recognized by AICTE/COBSE are not eligible.

15.14. Examination city will be allocated to candidate as per preferences given in application form and who have successfully submitted application by making successful payment (except the candidates applying under the SC/ST category, who are exempted from payment of fee). In case of more number of candidates applying for one examination city, Coast Guard reserves the right to allocate to any other examination city which may or may not be in candidate’s preference list.

15.15. Indian Coast Guard reserves the right to cancel examination at one centre and shift the examination to another date and centre.

15.16. **Indian Coast Guard reserves the right to cancel any test, any stage or the entire recruitment process of this batch without assigning any reason.**

15.17. Use of Mobile phones and other electronic gadgets of any kind are not permitted during examination. Indian Coast Guard considers such possession as adopting unfair means. If any candidate is caught with Mobile, Bluetooth device, any kind of recording/scanning/hearing/capturing equipment etc. during Stage I, II & III then his candidature will be cancelled and immediately action as per law including filing of FIR will be initiated.

15.18. Indian Coast Guard cannot guarantee the safe keeping of any electronic devices. Candidate will not be allowed to go to toilet or leave examination venue/ hall for any reasons after commencement of the written examination and after registration process of biometric.

15.19. All candidates will be frisked prior entering into examination venue.

15.20. All candidates are requested to be watchful and immediately bring to notice of invigilator of any suspicious action by any of the candidates.

15.21. Candidates must have valid e-mail ID and mobile no. for successful online registration. The communication by ICG with candidate will be only through e-mail or SMS. Candidates are directed to check their login ID and registered e-mail regularly for any change in recruitment schedule. Failure to regularly check the recruitment related information may lead to non-reporting for various recruitment stages by the candidate and the candidature will be cancelled. No response on the e-mail & update will lead to cancellation of candidature. ICG will not be responsible if the candidate fails to regularly check the important recruitment communication through e-mail or website on a daily basis.

15.22. Candidates are to fill the online application form with due care as no changes are allowed in the application after closing date of application. Any false information in online application will lead to cancellation of candidature. Affidavits duly signed by the candidate accepting their mistake of false information in online application will not be considered at any stages of examination of recruitment process and their candidature will be cancelled.

15.23. Candidates are directed to fill the category details {SC/ST/OBC (Non-Creamy)/EWS} as applicable with due care as no changes are allowed after submission of application. In past, few candidates declaring the category wrongly in application form requested Indian Coast Guard to permit them to appear in the written examination as general candidate. This is not permitted on ground of wrong declaration by the candidates in application form and leads to cancellation of the candidature at any stage of recruitment process and even after induction in service.

15.24. Candidates are strongly advised to apply well in time without waiting for the last date for submission of online application form.

15.25. Failure to report on date and time as mentioned on E-admit card for Stage-I, II & III will lead to cancellation of candidature.

15.26. Indian Coast Guard does not assume any responsibility for candidates not being able to submit their applications within the last date or on account of any other reason.

15.27. The possibility for occurrence of some problems in the administration/technicalities/logistics of the examinations cannot be ruled out completely, which may impact examination and/ or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates, delay in examination etc. Conduct of a re-examination is at the absolute discretion of Indian Coast Guard/ examination conducting body. Candidates will not have any claim for re-examination. Candidates not willing to move or not willing to participate in the delayed process of examination shall be summarily rejected from the process.

15.28. Please note that corrigendum, if any, issued on the above advertisement, will be published only on www.ssc.gov.in and candidates are to regularly visit the website for any corrigendum. Indian Coast Guard shall not be accountable if the candidate fails to see the corrigendum issued on the website and does not act accordingly or does not comply with the necessary corrigendum.

15.29. Candidates are to check the FAQs on portal and comply during submission of online application and at various stages of examination.

15.30. The candidate must remember his mobile number and e-mail id entered by him during filling of the online application as the correspondence with the candidate will be through E-mail ID or SMS. Post submitting the application, the candidate will see the e-mail id and mobile number only in encrypted form.

15.31. No additional documents can be uploaded by the candidate after selecting date & centre for Stage-II. Failure of uploading of documents and selection of date & centre within the time promulgated by ICG will lead to cancellation of the candidature of candidate.

15.32. Candidates whose documents (category certificate {SC/ST/OBC (Non-creamy layer)/EWS}/ domicile certificate) are expiring before Stage-II and Stage-III should bring the renewed/Fresh certificate alongwith old certificate at the time of appearing for Stage-II and Stage-III. Failure to bring the old and renewed/fresh certificate will lead to cancellation of the candidature.

15.33. Candidates will be debarred from the current as well as future examination conducted by ICG in case they fraudulently claim SC/ST/OBC(Non-creamy)/EWS status or avail any other non bonafide benefit.

15.34. The document verification is carried out at multiple stages of recruitment process even after Stage-II. The candidates are directed to check their e-mails and login dashboard regularly on daily basis. If the candidate fails to check the updates posted by ICG on login dashboard/E-mail, no communication will be held separately and the candidate will be responsible for the same.

15.35. The candidates are directed to bring their original documents as uploaded in the online application.

15.36. The date of birth and gender will not be allowed to be changed at any subsequent stage under any circumstances whatsoever and your candidature will be cancelled at any stage wherever any wrong information is detected.

15.37. Candidates will be provided with the option of print preview of the application before the final submission of online application. This feature should be utilized by the candidates to certify whether their application in all aspects (essential details like Name, Date of Birth, Parent’s name, subject wise marks/CGPA (as applicable), validity date of documents, category certificate details etc.) are correct and does not fall for rejection in document verification as per the rules prescribed in the advertisement. This feature can be used any number of times before the final submission of online application.

15.38. Candidates will also be provided with edit/correction window for duration of 02-03 days to edit/ correct only a few fields only in online application post completion of registration. The candidates are to utilize the edit window when provided to correct mistakes done while filling online application during registration process. Any mismatch/inconsistency/error with information provided in online application form, document uploaded (at online application Stage-I and II) and original documents provided for physical verification at Stage-II with the documents in respect to “Name, Date of Birth, Parent’s Name, subject wise marks/percentage/CGPA (as applicable), validity of documents, Category certificate details etc.” will lead to rejection in document verification and the candidature will be cancelled.

15.39. The candidates possessing Aadhaar Card are to mandatorily upload the Aadhaar Card as first option for identity proof while filing the online application. If, candidate without Aadhaar Card is shortlisted for further stages of recruitment process, then candidate needs to ensure the possession of Aadhaar Card and mobile number linked with Aadhaar Card as the same is mandatory for opening of bank account and generation of Permanent Retirement Account Number at Stage-III.

15.40. ICG being an Armed Force under Ministry of Defence, persons with any kind of disability are not eligible to apply.

15.41. You will not be allowed to enter into or contract marriage/keep family with you during your training period.

16. **Travel Allowance** Candidates applied under SC/ST category, who are not employed by the Central/State Government, will be reimbursed ordinary IInd class fare by train/ Govt. bus/steamer charges as per central government regulations by the shortest route if the home station is beyond 30 kms from the place of testing (Stage II) on production of original tickets. These SC/ST candidates are to download the travel form from ICG website and submit to Indian Coast Guard. **The provision of Travel Allowance is only for the conduct of Stage-II of the recruitment process. No fare can be claimed at later stage, if not claimed during Stage-II**.

17. **Pay, Perks and Others Benefits**.

17.1. **Yantrik.** Basic pay ₹ 29200/- (Pay Level-5). In addition, Yantrik pay @ ₹ 6200/- plus Dearness Allowance and other allowances based on nature of duty/place of posting as per the prevailing regulation.

17.2. **Navik (General Duty)**. Basic pay of ₹ 21700/- (Pay Level-3) plus Dearness Allowance and other allowances based on nature of duty/ place of posting as per the prevailing regulations.

17.3. **Navik (Domestic Branch)**. Basic Pay of ₹ 21700/- (Pay Level-3) plus Dearness Allowance and other allowances based on nature of duty/ place of posting as per the prevailing regulation.

17.4. **Hygienist-I** Basic Pay of ₹ 21700/- (Pay Level-3) plus Dearness Allowance and other allowances based on nature of duty/ place of posting as per the prevailing regulation.

18. **Promotion and Perquisites**.

18.1. Promotion prospects exist upto the rank of **Pradhan Adhikari /Pradhan Shayak Engineer/ Hygiene Supervisor**. Promotion to the Officer cadre is subject to suitability and performance while in service as per regulations laid down on the subject.

18.2. **Other Benefits**.

18.2.1. Free ration and clothing as per the existing rules. Free medical treatment for self and family including dependent parents in Military Hospitals.

18.2.2. Government accommodation/ House Rent Allowance.

18.2.3. 45 days Earned leave and 08 days Casual leave every year with Leave Travel Concession (LTC) for self, family and dependent parents as per Government rules.

18.2.4. Pension as per National Pension Scheme (NPS) or Unified Pension Scheme (UPS) and Gratuity on retirement in accordance with the extant regulations.

18.2.5. Canteen facilities (CSD) and other loan facilities.

18.2.6. ECHS medical facilities after retirement.

18.2.7. **Insurance Cover**. Insurance cover from Naval Group Insurance Fund (NGIF) for ₹ 75 Lakh on fixed compulsory monthly contribution.

Note: Pay, perks, promotion, insurance cover and other benefits are subject to change as per Government Orders.

19. The brief description about the nature of jobs of all branches can be accessed from the information provided on portal.

Candidates to see www.ssc.gov.in for Hindi version of the advertisement and complete update. This is an indicative advertisement only. Only English advertisement will be referred in any court of law and not the Hindi version. English version prevails over Hindi advertisement at all times.

CAUTION: SELECTION IN INDIAN COAST GUARD IS FAIR AND ON MERIT BASIS. CANDIDATE SHOULD NOT FALL PREY TO UNSCRUPULOUS PERSONS POSING AS RECRUITMENT AGENTS. FOR COMPLAINT AGAINST SUCH PERSONS, CANDIDATE MUST APPROACH THE DIRECTOR (RECRUITMENT) COAST GUARD HEADQUARTERS, RECRUITMENT CENTER, NOIDA ON TELEPHONE – 0120-2201340.

DISCLAIMER

The terms and conditions given in the advertisement are guidelines only and orders issued by the Government as amended from time to time will apply during the recruitment process.

ICG

भारतीय तटरक्षक
(रक्षा मंत्रालय)

तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) बैच – 01/2027 तथा 02/2027 के माध्यम से भारतीय तटरक्षक में भर्ती कार्मिक की भर्ती

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 26 (1100 बजे) से 21 अक्टूबर 26 (1730 बजे) तक 'ऑनलाइन' आवेदन स्वीकार किए जाएंगे

1. **पात्रता शर्तें.** संघ के सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक में, भर्ती कार्मिक के रूप में भर्ती के लिए अधोलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा वाले पुरूष तथा महिला भारतीय नागरिकों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **पदवार शैक्षणिक योग्यता**.

2.1 **नाविक (जनरल ड्यूटी).** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित एवं भौतिकी विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण।

2.2 **नाविक (घरेलू शाखा).** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण।

2.3 **हाइजीनिस्ट-I.** मैट्रिक परीक्षा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का प्रमाण पत्र या केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से समकक्ष उत्तीर्ण।

2.4 **यांत्रिक.** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण **तथा** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित 03 या 04 साल की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनियरिंग डिप्लोमा।

या

स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण **तथा** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित 02 या 03 साल की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनीयरिंग डिप्लोमा।

नोट: यांत्रिक संवर्ग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनियरिंग (इंजी) शाखा में भर्ती के लिए समकक्ष डिप्लोमा की सूची नीचे दी गई है:-

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलिकम्युनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (पॉवर सिस्टम)	मरीन इंजीनियरिंग/ मरीन इंजीनियरिंग एवं सिस्टम	एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)	इलेक्ट्रॉनिक्स (फाइबर ऑप्टिक्स)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पॉवर)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मरम्मत एवं रख-रखाव)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रीयल कंट्रोल)	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल)	शिप बिल्डिंग (जहाज निर्माण) इंजीनियरिंग	
इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम इंजीनियरिंग		

नोट: 1. ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों के अंक स्वयं की अंकतालिका में उल्लिखित अंकों के अनुसार भरने होंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकों का गलत या अपूर्ण भरा जाना अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगा।

2. यांत्रिक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनके पास चरण-II भर्ती प्रक्रिया से पूर्व मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र नहीं हैं, उन्हें आवश्यक रूप से चरण-II भर्ती आयोजन के दौरान कॉलेज/विश्वविद्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनंतिम प्रमाण पत्र लाना और अपलोड करना होगा। हालाँकि, चरण-III के आयोजन के दौरान मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यदि चरण- III में अभ्यर्थी के पास मूल दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

3. **आयु**. उपयुक्त तिथियां नीचे दी गई हैं।

3.1 **01/27 तथा 02/27 बैच** के लिए **नाविक (जनरल ड्यूटी)** अभ्यर्थी का जन्म 01 नवंबर 2005 से 01 मई 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.2 **01/27 बैच** के लिए **यांत्रिक** अभ्यर्थी का जन्म 01 मई 2005 से 01 मई 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.3 **02/27 बैच** के लिए **नाविक (घरेलु शाखा)** अभ्यर्थी का जन्म 01 नवंबर 2005 से 01 अक्टूबर 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.4 **02/27 बैच** के लिए **हाइजीनिस्ट-I** अभ्यर्थी का जन्म 01 नवंबर 2002 से 01 अक्टूबर 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.5 आयु सीमा में संबंधित श्रेणियों के लिए लागू छूट निम्न प्रकार है:

क्र.	**श्रेणी**	**आयु सीमा में छूट**
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष

4. **रिक्तियां.** प्रत्येक बैच के लिए संभावित रिक्तियां इस प्रकार है :-

4.1 **तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) – 01/27 बैच**

4.1.1 नाविक (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए पुरूष तथा महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियां इस प्रकार है :-

पद	लिंग	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अजजा	कुल
नाविक (जनरल ड्यूटी)	पुरूष	44	11	36	14	12	117
	महिला	08	01	03	01	00	13

4.1.2 इन पदों के लिए केवल पुरूष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

पद	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अज जा	कुल
यांत्रिक (मैकेनिकल)	09	02	05	05	07	28
यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)	10	02	05	03	03	23
यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	05	00	01	02	01	09

4.2 **तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) – 02/2027 बैच**

4.2.1 नाविक (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए पुरूष तथा महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियां इस प्रकार है :-

पद	लिंग	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अजजा	कुल
नाविक (जनरल ड्यूटी)	पुरूष	48	11	36	14	08	117
	महिला	05	01	04	02	01	13

4.2.2 इन पदों के लिए केवल पुरूष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं

पद	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अज जा	कुल
नाविक (घरेलु शाखा)	11	02	07	05	00	25
हाइजीनिस्ट-I	09	01	05	05	00	20

नोट:- 1. नाविक (जनरल ड्यूटी) पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ज़ोनवार भर्ती की जाएगी अर्थात रिक्तियां पाँच ज़ोन में विभाजित की जाएंगी। पाँच ज़ोन में से प्रत्येक के लिए अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। विभिन्न ज़ोन के अंतर्गत आने वाले राज्यों का विवरण इस प्रकार है :-

1.1 **उत्तर –** जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़।

1.2 **पश्चिम** – गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, तथा दमन एवं दीव।

1.3 **पूर्व –** पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा।

1.4 **दक्षिण -** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, तमिलनाडु, पुंडुचेरी, केरलम, कर्नाटक, लक्ष्यद्वीप।

1.5 **केंद्रीय** – मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा बिहार।

2. पंजीकरण के समय ये ज़ोनवार रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। यदि किसी विशेष ज़ोन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न होने की स्थिति में भी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आयुसीमा में किसी प्रकार की छूट अथवा उत्तीर्ण अंकों में छूट अथवा आवेदन शुल्क में छूट अथवा यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति आदि के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. **नाविक (जनरल ड्यूटी) महिला**, **यांत्रिक, नाविक (घरेलु शाखा) तथा हाइजीनिस्ट**-। **के पदों पर भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होगी**।

4. **जोनवार/अखिल भारतीय रिक्तियां अस्थायी हैं तथा परिवर्तित हो सकती हैं।**

चयन प्रक्रिया

5. अभ्यर्थी का चयन, चरण-I, II, III, एवं IV (आगे के पैराग्राफों में विस्तार से वर्णित) में उनके प्रदर्शन के आधार पर, चिकित्सा परीक्षा के दौरान निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करने तथा संबंधित बैच में पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक में भर्ती के लिए चरण-I, II, III, एवं IV में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का चयन यांत्रिक के पद के लिए केवल सीजीईपीटी-01/27 बैच के लिए तथा नाविक (घरेलु शाखा) तथा हाइजीनिस्ट-। के पद के लिए सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए होगा। हालांकि, **नाविक (जीडी) के पद के लिए सीजीईपीटी-01/27 अथवा सीजीईपीटी-02/27 बैच में अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के क्रम, उपलब्ध रिक्तियों तथा प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर होगा।** अभ्यर्थी किसी विशेष बैच में चयन का दावा नहीं कर सकते। सीजीईपीटी के चरण-I, II, एवं III की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों की पहचान की जांच अनिवार्य होगी। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में पहचान की जाँच में निम्नलिखित का सत्यापन/मिलान सम्मिलित होगा:-

5.1 **पंजीकरण के दौरान लाइव इमेज कैप्चर** - पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी को नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी की लाइव इमेज खींची जाएगी। अपलोड की गई फोटो में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं का वास्तविक समय की फोटो से मिलान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आवेदन पत्र के पंजीकरण के समय ली गई वास्तविक समय की फोटो तथा आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो का मिलान आगे के सभी चरणों में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं/शारीरिक बनावट से किया जाएगा।

5.2 **बायोमेट्रिक**

5.2.1 चरण-। भर्ती के दौरान ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व केवल बाएँ अंगूठे का बायोमैट्रिक लिया जाएगा। यदि चरण -। के दौरान बाएँ अंगूठे का बॉयोमैट्रिक नहीं लिया जाता तो दाएँ अंगूठे का बायोमैट्रिक लिया जाएगा

और आगे के सत्यापन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बाएँ एवं दाएँ अंगूठे के अलावा, किसी अन्य अंगुली पर बॉयोमैट्रिक के लिए विचार नहीं जाएगा।

5.2.2 यह अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है, कि वह पहले से जाँच कर ले कि बायोमेट्रिक मशीनें अंगुलियों के निशानों की छवि (फिंगरप्रिंट) लेने में सक्षम हैं। यदि बायोमेट्रिक मशीन मेहंदी, मोम आदि के कारण फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने में सक्षम नहीं हैं, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.3 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए हस्ताक्षर।

5.2.4 ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित पहचान चिह्न।

नोट: किसी भी चरण में उपर्युक्त उल्लिखित पहचान जाँच में से किसी एक में भी असफल होना, अभ्यर्थिता रद्द होने का कारण बनेगा।

6. सीजीईपीटी परीक्षा के विभिन्न चरणों का विवरण इस प्रकार है: -

6.1 **चरण**-I **(कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा)**

6.1.1 **पहचान सत्यापन** चरण-I में अभ्यर्थी की पहचान ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण को देख कर जाँची जाएगी। अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करते समय सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होंगे:-

6.1.1.1 वैध मूल पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है। आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के रूप में प्रथम विकल्प आधार कार्ड अपलोड करना होगा।

6.1.1.2 ई प्रवेश पत्र का एक प्रिंटआउट (ई प्रवेश पत्र का ब्लैक एंड व्हाईट प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, क्यू आर कोड तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों/पठनीय हो)।

6.1.1.3 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटोग्राफ के समान 02 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ।

नोट: अभ्यर्थी को पहचान सत्यापन के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया पहचान दस्तावेज साथ लाना होगा। ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी का विवरण (नाम, पहचान प्रमाण विवरण, जन्मतिथि) का मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में जानकारी के संबंध में उपर्युक्त दस्तावेजों में नाम/जन्मतिथि/पहचान पत्र संख्या/ फोटो में कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चरण –I में किसी अन्य दस्तावेज़ की जाँच नहीं की जाएगी तथा यह केवल प्रारंभिक बुनियादी पहचान सत्यापन है।

6.1.2 **बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग** पहचान सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को चरण–I में बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग से गुजरना होगा। चरण–I में प्राप्त किए गए बायोमेट्रिक डाटा को बाद के सभी चरणों में सत्यापित/पुन: कैप्चर किया जाएगा।

6.1.3 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा** कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा (सीबीई) आयोजित की जाएगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) तथा वैकल्पिक प्रकार (बहु विकल्पी प्रश्न) का होगा। परीक्षा की अवधि एक घंटा होगी। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नहीं है। विस्तृत पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है।

6.1.3.1 संबंधित श्रेणियों के सभी पदों के लिए उत्तीर्णांक मानदंड इस प्रकार है:-

क्र.	**श्रेणी**	**उत्तीर्णांक**
1.	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्ग	40
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	35

6.1.3.2 **अंकों का सामान्यीकरण** यदि परीक्षा एक से अधिक पारियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा तथा इन सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम मेरिट तथा कट ऑफ अंकों के निर्धारण में किया जाएगा।

6.1.3.3 चरण-I का परिणाम अभ्यर्थी के डैशबोर्ड (कैंडिडेट्स डैशबोर्ड) पर अपलोड किया जाएगा ।

6.2 **चरण-II (भारतीय तटरक्षक द्वारा निर्दिष्ट भर्ती केंद्रों पर भर्ती प्रक्रिया)** कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन, भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों की संचालन क्षमता के आधार पर अभ्यर्थियों को चरण–II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। सीजीईपीटी-01/27 तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए चरण–II संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। **ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, अभ्यर्थियों को दी गई अवधि के भीतर पैरा 7.5 में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे तथा पसंदीदा तिथि एवं केंद्र का चयन करना होगा । भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने तथा तिथि/केंद्र का चयन करने में में विफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। चरण–II परीक्षा के लिए तिथि एवं केंद्र का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा । अभ्यर्थियों को तिथि एवं केंद्र के चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। जिन तिथियों एवं परीक्षा केंद्रों पर सीटें उपलब्ध होंगी, उन्हें अभ्यर्थियों को चयन के लिए दिखाया जाएगा।** चरण- II की अवधि 1-2 दिन है तथा यह आवंटित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। चरण- II में निम्नलिखित परीक्षाएं शामिल होंगी जो केवल अर्हता निर्धारण के लिए होंगी।

6.2.1 **बुनियादी पहचान तथा बायोमैट्रिक सत्यापन** . चरण-II के लिए रिपोर्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश द्वार पर बुनियादी पहचान जांच के बाद भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी तथा आगे अभ्यर्थी ऊपर पैरा 5 में वर्णित बायोमैट्रिक सत्यापन के अधीन होंगे। जिन अभ्यार्थियों की पहचान प्रवेश द्वार पर सत्यापित नहीं हो पाती है, उन्हें भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी परिणामस्वरूप उन्हें भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.2.2 **शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी).** शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा (पीएफटी) से गुजरने वाले अभ्यर्थी अपने जोखिम पर इस परीक्षा में भाग लेंगे। सभी अभ्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्पोर्ट्स रिग (जूते, टी-शर्ट, ट्राउजर इत्यादि) अपने पास रखें। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी) इस प्रकार होगी :-

क्र.	**लिंग**	**1.6 किमी दौड़ के लिए समय**	**ऊठक-बैठक**	**पुश- अप**	**घुटने मोड़कर किए जाने वाले सिट अप्स**

			(स्क्वाट्स)		(बेंट नी सिट अप्स)
1.	पुरुष	06 मिनट 30 सेकंड	20	15	15
2.	महिला	08 मिनट	15	10	10

नोट. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के सभी चारों परीक्षण बिना किसी विराम के लगातार संचालित किए जाएंगे। इन परीक्षणों में किसी भी विराम की स्थिति में शारीरिक स्वस्थता परीक्षण में अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा ।

6.2.3 **मूल्यांकन तथा अनुकूलनशीलता परीक्षा**. शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चरण-II भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में अर्हता के लिए ऑनलाइन/ओएमआर आधारित एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा मात्र अर्हता मूलक है तथा इसमें प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। परीक्षा आयोजन के पश्चात परीक्षा स्थल पर परिणाम घोषित किया जाएगा।

6.2.4 **दस्तावेज़ सत्यापन**. ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10वीं/ कक्षा12वीं/ डिप्लोमा की अंकसूची/पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) श्रेणी प्रमाण पत्र/ हर एक विषय तथा कुल अंकों /सीजीपीए (जैसा लागू हो)/अधिवास प्रमाण पत्र से मेल खानी चाहिए। **दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से उत्तीर्ण या अनंतिम रूप से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ तथा नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र विवरण, अधिवास प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में चरण-II सत्यापन हेतु में प्रस्तुत किए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/ त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी। **सभी दस्तावेज जारी होने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पूर्व की कोई तिथि होनी चाहिए।** सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 27** तक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/असत्य /फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लागू नियमों के अनुसार अभ्यर्थी का नामांकन होने पर भी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

6.2.5 **भर्ती चिकित्सा परीक्षा.** भर्ती चिकित्सा अधिकारी निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा फिटनेस के लिए अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगा तथा उन्हें योग्य (फिट)/ अयोग्य (अनफिट) घोषित करेगा। **दस्तावेज सत्यापन में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।** भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सकीय अयोग्य (अनफिट) पाए गए अभ्यर्थी जो अपील करना चाहते हैं, उन्हें किसी निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) को तुरंत रैफर किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा पूर्ण होने के 14 दिन के भीतर निर्दिष्ट एएफएमएस अस्पताल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।** अपील चिकित्सा परीक्षा को अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थी को किसी अन्य अथवा उसी अस्पताल में दोबारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

नोट: 1. चरण-II भर्ती केंद्र पर भर्ती चिकित्सा परीक्षा में योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक द्वारा आगे दस्तावेजों की जाँच के दौरान दस्तावेज़ सत्यापन में अयोग्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि चरण-II के आयोजन के बाद तथा अंतिम मेरिट/परिणाम के प्रकाशन से पहले तक भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है ।

2. भर्ती चिकित्सा परीक्षा, अपील चिकित्सा परीक्षा तथा नामांकन से पूर्व चिकित्सा परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करने के लिए भर्ती चिकित्सा अधिकारी तथा सशस्त्र बल अस्पतालों (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) के विशेषज्ञ चिकित्सक अंतिम प्राधिकारी हैं

6.2.6 **चरण –III के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करना.** भारतीय तटरक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का पुन: सत्यापन (अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में) करेगा तथा मेरिट तैयार करने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो दस्तावेज़ सत्यापन में अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करेंगे तथा भर्ती/अपील मेडिकल में योग्य घोषित किए जाएंगे। सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले तथा इस विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक मानदंडों को पूर्ण करने वाले नाविक (जीडी) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए (ज़ोनवार तथा श्रेणीवार) तथा नाविक (जीडी) महिला अभ्यर्थियों, यांत्रिक, नाविक (डीबी) तथा हाइजीनिस्ट-I के लिए अखिल भारतीय स्तर (श्रेणीवार) मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीजीईपीटी-01/27 या सीजीईपीटी-02/27 बैच में नाविक (जीडी) पद के लिए अभ्यार्थियों का चयन मेरिट के क्रम तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी किसी विशेष बैच में अपने चयन का दावा नहीं कर सकते। अभ्यर्थियों का मेरिट का क्रम केवल चरण-I में प्राप्त अंकों, चरण-II के सभी चरणों में अर्हता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित होगा। मूल्यांकन परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहिः किए जाएंगे परन्तु टाई ब्रेकिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। चरण -I में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में मेरिट में टाई ब्रेकिंग (निर्णायक) नियम इस प्रकार है [जहां कहीं भी टाई ब्रोकन (निर्णायक काल) होगा अगला चरण पहले नहीं होगा]

6.2.6.1 अधिक आयु का अभ्यर्थी मेरिट में उच्च होगा।

6.2.6.2 मूल्यांकन परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी।

नोट: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आवेदन करने वाले तथा अपने किराए की प्रतिपूर्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों को चरण-II के दौरान मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित दो फोटोकोपी, मूल रेल/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पात्र तथा टीए का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फार्म साथ लेकर आना होगा। चरण-II भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के बाद तथा बाद के किसी अन्य चरण में यात्रा भत्ता दावे संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.3 **चरण-III.** जो अभ्यर्थी चरण-I तथा चरण-II में अर्हता प्राप्त करते हैं तथा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मेरिट में आते हैं, उन्हें भा.नौ.पो. चिल्का में रिपोर्ट करने के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा उन्हें अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रत्येक संवर्ग के लिए संबंधित बैच में अर्थात सीजीईपीटी-01/27 बैच में नाविक (जीडी) एवं यांत्रिक तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच में नाविक (जीडी), नाविक (डीबी), तथा हाइजीनिस्ट-I के लिए चरण-III पृथक रूप से आयोजित किया जाएगा। चरण-III की अवधि 1-2 दिन है। साथ ही, भा.नौ.पो. चिल्का एक नौसेना प्रशिक्षण स्थापना है, इसलिए प्रशिक्षण बेस पर प्रचलित सत्यापन प्रक्रिया भारतीय तटरक्षक के अभ्यर्थियों पर लागू है । चरण-III में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

6.3.1 **बुनियादी पहचान जांच**:- भर्ती के चरण-III के लिए भा.नौ.पो. चिल्का में रिपोर्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का आधार आधारित पहचान सत्यापन किया जाएगा। पिछले दो वर्षों के दौरान आधार कार्ड के जनसांख्यिकीय विवरणों (नाम, जन्मतिथि, शारीरिक बनावट) में किए गए परिवर्तनों की जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की विसंगति या मिलान नहीं होने की स्थिति में :

6.3.1.1 अभ्यर्थी को वैध सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

6.3.1.2 शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर वास्तविक परिवर्तनों पर विचार किया जा सकता है।

6.3.1.3 धोखाधड़ी के संदेह अथवा वैध प्रमाण के अभाव की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द करने कर दी जाएगी।

6.3.2 **दस्तावेज़ सत्यापन.** ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10वीं/कक्षा 12वीं/डिप्लोमा की अंकसूची/ पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) अधिवास प्रमाण पत्र/ श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र/ हर एक विषय एवं कुल अंकों या सीजीपीए (जैसा लागू हो) से मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ तथा नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, दस्तावेजों की वैधता, श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/ त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेजों के जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले की कोई तिथि होनी चाहिए। अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 27** तक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6.3.3 **भा.नौ.पो. चिल्का में पूर्व नामांकन चिकित्सा.** भा.नौ.पो. चिल्का में भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों की पूर्व नामांकन चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्व नामांकन चिकित्सा परीक्षा का आयोजन चरण-II भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोजित भर्ती चिकित्सा परीक्षा तथा अभ्यर्थियों की भा.नौ.पो. चिल्का में रिपोर्टिंग की तारीख के मध्य के समय के अंतराल पर निर्भर करेगा। अयोग्य (अनफिट) पाए गए तथा अपील करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को भा.नौ.पो. चिल्का के चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा आवंटित किसी निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल (या तो आईएनएचएस निवारिणी या आईएनएचएस कल्याणी) में तुरंत रैफर किया जाएगा। **ऐसे अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल में रिपोर्ट करना होगा तथा अपील चिकित्सा परीक्षा के तहत अधिकतम पाँच कार्य दिवस की अवधि के भीतर अपील चिकित्सा पूर्ण करनी होगी।** अपील चिकित्सा परीक्षा को अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थी को किसी अन्य अथवा उसी अस्पताल में दोबारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

6.3.4 **दस्तावेज जमा करना** सभी अभ्यर्थियों को चरण-III में ई प्रवेश पत्र के साथ मूल दस्तावेज, पुलिस सत्यापन प्रपत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को अधिवास के स्थान या वर्तमान निवास स्थान से पुलिस सत्यापन प्राप्त करना होगा जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सत्यापित पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं है अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट वाले अभ्यर्थी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.4 **चरण IV:** चरण- IV में चरण- III के दौरान प्रस्तुत मूल शैक्षणिक दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड /विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ सत्यापन/प्रमाणीकरण सम्मिलित है। यदि दिए गए दस्तावेजों को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा वास्तविक नहीं बताया जाता है तो अभ्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

7. आवेदन कैसे करें

7.1 आवेदन **दिनांक 06 अक्टूबर 26 (1100 बजे) से 21 अक्टूबर 26 (1730 बजे) तक 'केवल ऑनलाइन'** स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को www.ssc.gov.in पर लॉगिन करना होगा तथा स्वयं को पंजीकृत करने के निर्देशों का पालन करना होगा।**अभ्यर्थियों को अपना पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर स्मरण रखना है क्योंकि यह आवेदन फॉर्म में एंक्रिप्टेड होगा**। यदि अभ्यर्थी अपना ई-मेल आईडी या मोबाईल नंबर भूल जाते हैं, तो डैशबोर्ड में लॉगिन करना संभव नहीं होगा और न ही ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे या अपना परिणाम देख सकेंगे और इसके लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। पंजीकृत ई-मेल या मोबाईल नंबर को पुनः प्राप्त करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा।

7.2 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उल्लिखित आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

7.3 अभ्यर्थियों को पोर्टल पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) का पालन करना होगा।

7.4 अभ्यर्थी केवल **एक पद** के लिए आवेदन कर सकता है। यदि अभ्यर्थी एक विशेष भर्ती चक्र के दौरान एकाधिक आवेदन भरता है, तो केवल नवीनतम भरे हुए आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा पूर्व में भरे गए सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। हालाँकि, भरे गए एक से अधिक आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की आगे पात्रता के लिए जाँच की जाएगी तथा किसी भी चरण में किसी भी लिहाज से अपात्र पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी support@parikshasaarthi.in पर ईमेल के माध्यम से तथा टेलीफोन नंबर 7620207872 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

7.5 **भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़.** अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ दो चरणों में अपलोड करने होंगे। मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन प्रतियां अपलोड की जाएगी फोटोकोपी और स्व-सत्यापित फोटोकोपी स्वीकार नहीं की जाएंगी।

7.5.1 **चरण-I से पूर्व ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज़**

7.5.1.1 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उल्लिखित विशेषताओं के अनुसार पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (**आवेदन खुलने की तिथि से तीन महीने पहले से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए**)

7.5.1.2 **पंजीकरण के दौरान लाइव इमेज कैप्चर** - पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी की लाइव इमेज भी खींची जाएगी। अपलोड की गई फोटो में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं का वास्तविक समय की फोटो से मिलान किया जाएगा। लाइव फोटो तथा अपलोड की गई फोटो मिलान की स्थिति में ही अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे।

7.5.1.3 अभ्यर्थी के स्कैन किए गए हस्ताक्षर की छवि।

7.5.1.4 जन्मतिथि प्रमाण (10वीं कक्षा अंकसूची **या** जन्म प्रमाणपत्र)।

7.5.1.5 पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स **या** पासपोर्ट)।

7.5.1.6 यदि अभ्यर्थी सेवारत तटरक्षक कार्मिक या तटरक्षक असैन्य कार्मिक है, तो सेवा प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र।

7.5.1.7 ज़ोनवार भर्ती के लिए अभ्यर्थी के ज़ोन के निर्धारण के लिए नाविक (जीडी) पुरूष के पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा एक वैध अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है। **जिन राज्यों में अधिवास प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र दोनों जारी किए जाते हैं केवल अधिवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।**

7.5.1.8 नाविक (जीडी) महिला, यांत्रिक, नाविक (डीबी) तथा हाइजीनिस्ट-I के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अधिवास प्रमाण पत्र केवल तभी अपलोड करना होगा जब उन्हें चिकित्सा मानकों अर्थात लंबाई में छूट की आवश्यकता हो।

7.5.2 **चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़.** यदि अभ्यर्थी चरण II भर्ती प्रक्रिया के लिए शार्टलिस्ट किया जाता है, तो उसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे :-

7.5.2.1 **सभी अभ्यर्थी** सभी पदों के लिए

7.5.2.1.1 श्रेणी प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्लूएस}
7.5.2.1.2 यदि अभ्यर्थी नियोजित है, तो सरकारी संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन भरने की तिथि या उसके बाद का होना चाहिए।

7.5.2.2 **हाइजीनिस्ट-I अभ्यर्थी (7.5.2.1 के अतिरिक्त)**

7.5.2.2.1 8 वीं कक्षा की अंकसूची
7.5.2.2.2 10वीं कक्षा की अंकसूची (यदि पूर्ण है)
7.5.2.2.3 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र (यदि पूर्ण है)
7.5.2.2.4 आईटीआई प्रमाण पत्र तथा अंकसूची

7.5.2.3 **नाविक (डीबी) अभ्यर्थी (7.5.2.1 के अतिरिक्त)**

7.5.2.3.1 10 वीं कक्षा की अंकसूची
7.5.2.3.2 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र
7.5.2.3.3 10वीं कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

7.5.2.4 **नाविक (जीडी) अभ्यर्थी (7.5.2.1 तथा 7.5.2.3 के अतिरिक्त)**

7.5.2.4.1 12 वीं कक्षा की अंकसूची
7.5.2.4.2 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र
7.5.2.4.3 12वीं कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

7.5.2.3 **यांत्रिक अभ्यर्थी (7.5.2.1 तथा 7.5.2.3 के अतिरिक्त)**

7.5.2.5.1 12 वीं कक्षा की अंकसूची (यदि पूर्ण है)
7.5.2.5.2 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र (यदि पूर्ण है)
7.5.2.5.3 डिप्लोमा के सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंकसूची
7.5.2.5.4 डिप्लोमा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
7.5.2.5.5 12वीं कक्षा/डिप्लोमा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

नोट- 1. अपने कोटे का लाभ ले रहे अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के मामले में, उनके ऑनलाइन आवेदन में दिया गया वर्तमान या स्थायी पता उनके वर्ग (जाति) प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस} प्रमाण पत्र में उल्लिखित पते के समान होना चाहिए।
2. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र **भारत सरकार के फॉर्मेट** के अनुसार होना चाहिए।

3. अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति से संबंधित फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए और आगे के ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्यू आर/बार कोड अंकित किया हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि अभ्यर्थी संबंधित सरकारी आदेशों में उल्लेख के अनुसार व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

4. इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को एक वैध तथा नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5. अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का आकार पोर्टल पर दिए गए विशेष विवरण के अनुसार होना चाहिए।

6. ऑनलाइन आवेदन के दौरान तथा चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों {अजा/अजजा/अपिव (नॉन- क्रीमी)/ईडब्ल्यूएस/अंकसूची/शैक्षिक प्रमाणपत्र/ पहचान प्रमाण/अधिवास प्रमाण पत्र } के जारी होने की तिथि **आवेदन बंद होने की अंतिम तिथि** या उससे पूर्व होनी चाहिए तथा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 27** तक होनी चाहिए।

7. अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। यदि दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा में हैं, तो अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज़ तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद दोनों अपलोड करना होगा।

8. दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान धुंधली तस्वीर, धुंधले हस्ताक्षर तथा अपलोड किए गए अस्पष्ट दस्तावेजों वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों में छवियों की स्पष्टता अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों की छवियों की स्पष्टता में किसी भी विसंगति या असामान्यता के कारण अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।अपलोड किए गए दस्तावेज़ सुपाठ्य, पढ़ने योग्य और पूर्ण होने चाहिए अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पूरे दस्तावेज़ को स्कैन करके अपलोड किया जाना है, उदा. यदि जन्मतिथि प्रमाणपत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) या कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में दो या अधिक पृष्ठ हैं, तो सभी पृष्ठों को एक फाइल में मर्ज कर दिया जाएगा तथा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया जाएगा। अपूर्ण या आंशिक रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

8. **परीक्षा शुल्क**. अभ्यर्थियों (अजा/अजजा श्रेणी के लिए रिक्त पदों पर आवेदन के पात्र तथा इच्छुक अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) को **550/- (पाँच सौ पचास रुपए मात्र)** नेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए या वीजा/मास्टर/ मेस्ट्रो/डेबिट कार्ड/ यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर भुगतान करना होगा। परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया हो और जो परीक्षा शुल्क माफी के हकदार हो।

नोट:- 1. एक बार भुगतान के बाद किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा तथा ना ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए इस शुल्क को आरक्षित रखा जाएगा।

2. अजा/अजजा श्रेणी की रिक्तियों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में माफी के हकदार होंगे। यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा शुल्क में छुट/लागू अन्य किसी रियायत की छूट का दावा करने के लिए जाली अजा/अजजा श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो भर्ती/प्रशिक्षण के किसी भी चरण में अभ्यर्थी को सेवामुक्त/अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. यदि अभ्यर्थी ने शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है तथा उसके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं (अर्थात असफल भुगतान), तो वह कृपया यह जाँच ले की क्या लेनदेन संबंधी मूल खाते में शुल्क स्वत: वापस आ गया है अथवा अपने खाते में पैसे की स्वत: वापसी हेतु 15 कार्य दिवस प्रतीक्षा करे तथा मूल खाते में लेनदेन की स्थिति जाँच ले।

4. यदि एक अभ्यर्थी से एक आवेदन के लिए एक से अधिक भुगतान प्राप्त किए जाते हैं, तो वह वापस नहीं किए जाएंगे।

9. **परीक्षा केंद्र शहर** – आवेदन में अभ्यर्थी को चरण-I प्रक्रिया के परीक्षा केंद्र शहर के लिए प्राथमिकताएँ देनी होंगी। अभ्यर्थियों को पहली पसंद वर्तमान/संचार निवास से निकटतम भरनी होगी। चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभ्यर्थियों को चरण-II परीक्षा के लिए तिथि एवं केंद्र चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। चरण-I तथा चरण-II के लिए एक बार परीक्षा केंद्र आबंटित होने के बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

नोट- चरण-I और चरण-II के लिए परीक्षा केंद्र शहर आबंटित करने का अधिकार भारतीय तटरक्षक सुरक्षित रखता है, जो कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार हो भी सकते हैं, या नहीं भी।

10. परीक्षा की अनंतिम समय सारणी इस प्रकार है:-

बैच	परीक्षा की अनंतिम तिथियाँ		
	चरण-I	चरण-II	चरण-III
सीजीईपीटी-01/27	नवंबर 2026 के प्रारंभ/मध्य में	फरवरी 2027 के अंत में	मई 2027 के प्रारंभ में
सीजीईपीटी-02/27			अक्टूबर 2027 के मध्य में

नोट: 1. चरण – I, II एवं III के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तिथि की घोषणा भारतीय तटरक्षक द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों को विभिन्न चरणों के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा अन्य जानकारियों हेतु नियमित रूप से संबंधित लॉगिन आईडी में लॉगिन करने का निर्देश दिया जाता है।

2. ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में विफल होने तथा विभिन्न भर्ती चरणों के लिए रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं की नियमित जाँच करने में विफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

11. **परिणाम की घोषणा.**

11.1 अभ्यर्थी के अकाउंट में लॉगिन करके चरण-I से चरण-III तक चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का परिणाम देखा जा सकता है। इसके अलावा चरण-I, II तथा III में कदाचार में शामिल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा तथा संबंधित पद तथा श्रेणी की कट ऑफ प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

11.2 सीजीईपीटी-01/27 तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच के चरण-III का परिणाम पृथक रूप से घोषित किया जाएगा तथा यह अभ्यर्थी के डैशबोर्ड (कैंडिडेट्स डैशबोर्ड) में उपलब्ध रहेगा जिसे उनकी लॉगिन आईडी में लॉगिन करके देखा जा सकता है।

12. **प्रत्येक चरण पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची** सीजीईपीटी परीक्षा के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज साथ लाना होगा।

12.1 **चरण - I**

12.1.1 वैध मूल पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

12.1.2 ई प्रवेश पत्र का एक प्रिंटआउट" (ब्लैक एंड व्हाईट प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी की फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट दिखाई दें/पठनीय हो)।

12.1.3 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के समान चेहरे की विशेषताओं वाले पासपोर्ट आकार के 02 रंगीन फोटोग्राफ।

12.2 **चरण- II**

12.2.1 "ऑनलाइन आवेदन तथा चरण-I तथा चरण-II के ई प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट" (ब्लैक एंड व्हाईट प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी की फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट दिखाई दें/पठनीय हो)।

12.2.2 पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

12.2.3 ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभ्यर्थी के लॉगिन में प्रस्तुत/अपलोड किए गए मूल दस्तावेज।

12.2.4 सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व-सत्यापित 02 फोटोकोपी।

12.2.5 ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ की 12 प्रतियाँ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ।

12.2.6 भारतीय तटरक्षक के लिए नियोक्ता द्वारा जारी मूल सेवा प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उसकी स्व-सत्यापित 02 फोटोकॉपी उन अभ्यर्थियों के लिए जो वर्तमान में किसी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवारत हैं (यदि लागू हो)।

12.2.7 केवल अजा/अजजा आवेदकों के लिए:- ई प्रवेश पत्र का 01 अतिरिक्त रंगीन प्रिंट आउट, मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित दो फोटोकोपी, मूल रेल/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पत्र तथा यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फार्म। टैक्सी अथवा अन्य किसी यातायात के साधन का किराया अनुमत नहीं है।

12.3 **चरण-III**

12.3.1 "ऑनलाइन आवेदन तथा चरण-III के ईप्रवेश पत्र" का प्रिंटआउट (प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी की फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट दिखाई दें/पठनीय हो)।

12.3.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा चरण III के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभ्यर्थी के लॉगिन में जमा/अपलोड किए गए मूल दस्तावेज।

12.3.3 सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व-सत्यापित 03 फोटोकॉपी।

12.3.4 आवेदन मे प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की 30 रंगीन फोटोग्राफ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ

12.3.5 नीली पृष्ठभूमि के साथ 3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ – (10 प्रतियां)

12.3.6 माता/पिता की इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)
12.3.7 पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.8 परिवार के विवरण से संबंधित प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.9 चरित्र प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.10 इच्छुकता प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.11 साक्ष्यांकन प्रपत्र (संवर्ग के नाम के साथ) – (03 मूल प्रतियां)

12.3.12 वर्तमान में किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से मूल अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा उसकी स्व-सत्यापित चार प्रतियां, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होंगी। नियुक्ति की पुष्टि होने पर, प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12.3.13 पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स **या** पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

नोट: बैंक खाता खोलने तथा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए चरण-III में आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

13. चिकित्सा परीक्षा तथा मानक

13.1 भर्ती कार्मिकों के प्रवेश के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के वर्तमान विनियमों के अनुसार प्राधिकृत **रक्षा बलों के सैन्य चिकित्सकों** द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

13.2 आवश्यक चिकित्सा मानक

13.2.1 **लंबाई** पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई मानक 157 सेमी. तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी. है। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, कुमाऊं तथा सिक्किम अधिवास वाले अभ्यर्थियों हेतु लंबाई मानकों को 5 सेमी तक कम किया जा सकता है। गोरखाओं के लिए भी 5 सेमी की कमी लागू है। लद्दाख़, लक्ष्यद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अधिवास वाले अभ्यर्थियों के लिए लंबाई मानक 2 सेमी तक कम किया जा सकता है।

13.2.2 **सीना** वक्ष भित्ति सुगठित तथा विकसित होनी चाहिए। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीने की न्यूनतम परिधि 77 सेमी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 सेमी का फुलाव हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सीना सुगठित तथा तथा न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए।

13.2.3 **वजन** भारतीय तटरक्षक के लिए लागू आयु तथा ऊंचाई के समानुपातिक में।

13.2.4 **श्रव्यशक्ति** अभ्यर्थियों की सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए अर्थात वह प्रत्येक कान से पृथक रूप से 6 मीटर की दूरी से फुसफुसाहट सुन सके।

13.2.5 **टैटू.** शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा घोषित जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों के अभ्यर्थियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, शरीर पर स्थायी टैटू केवल बाहों के अंदरूनी हिस्से अर्थात कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे/हाथ के पीछे (पृष्ठीय) हिस्से पर ही स्वीकार्य है।

13.2.6 **दंत चिकित्सा** मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, दांतों का सेट अच्छा होना चाहिए तथा न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए।

13.2.7 **सामान्य स्वास्थ्य** अभ्यर्थी सशस्त्र बलों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अभ्यर्थी का शरीर सामान्य होना चाहिए तथा उसके किसी भी अंग में कोई विकृति या क्षति नहीं होनी चाहिए। उसे किसी सक्रिय या सुप्त, भयानक (उग्र) या दीर्घकालिक(जीर्ण), चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सा संबंधी विकलांगता या संक्रामक रोग, संक्रमण या त्वचा संबंधी रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक रूप से विश्व के किसी भी भाग में, किसी भी जलवायु तथा भूभाग में ड्यूटी करने में सक्षम होना चाहिए ।

13.2.8 **लिंग** यदि किसी अभ्यर्थी में बाह्य शारीरिक परीक्षा के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य घोषित करके उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी, जिसने लिंग-पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराई है, को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

13.2.9 **गर्भावस्था (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)** यदि कोई अभ्यर्थी, गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.2.10 **स्त्री रोग संबंधी परीक्षा (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)** परीक्षा में बाह्य जननांग, हर्निया के छिद्र तथा पेरिनियम सम्मिलित हैं। तनाव मूत्र असंयम तथा आतंरिक जननांगों के योनि द्वार से बाहर निकलने का कोई भी लक्षण अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर देगा।

13.2.11 **दृष्टि मानक** दृष्टि मानक नीचे दिए गए हैं:-

13.2.11.1 जनरल ड्यूटी शाखा – 6/6 (अच्छी आंख) तथा 6/9 (खराब आंख)

13.2.11.2 घरेलू शाखा – 6/36 (अच्छी आंख) तथा 6/36 (खराब आंख)

13.2.11.3 तकनीकी शाखा (यांत्रिक) – 6/24 (अच्छी आंख) तथा 6/24 (खराब आंख)

13.2.11.4 हाइजीनिस्ट – चश्मे के बिना 6/60 (अच्छी आंख) तथा 6/60 (खराब आंख) एवं चश्मे के साथ 6/9 (अच्छी आंख) तथा 6/24 (खराब आंख)

13.2.11.5 चश्मे का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी शाखा के लिए पात्र नहीं हैं।

नोट: 1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सीय परीक्षण से पूर्व अपने कान से मोम साफ करवा लें एवं दाँत से टार्टर निकलवा ले।

2. लंबाई में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी को अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लंबाई में छूट नहीं दी जाएगी।

3. निर्धारित चिकित्सा मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। चिकित्सा मानकों के संबंध में भारतीय तटरक्षक का आदेश ही अंतिम प्राधिकार होगा।

14. **प्रशिक्षण** सीजीईपीटी-01/27 बैच के लिए बुनियादी प्रशिक्षण मई 2027 में तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए बुनियादी प्रशिक्षण नवंबर 2027 में भा.नौ.पो. चिल्का में शुरू होगा जिसके बाद उन्हें आबंटित ट्रेड में समुद्री प्रशिक्षण तथा वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूलभूत प्रशिक्षण में प्रदर्शन तथा सेवा की आवश्यकतानुसार शाखा/ट्रेड का आबंटन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय उनकी प्रगति (जिसमें अकादमी संबंधी प्रगति भी शामिल है) या व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर अभ्यर्थियों को **अनुपयुक्त** करार देकर कार्यमुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा के किसी भी चरण में यदि आवेदन पत्र या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज जाली पाए जाने पर अभ्यर्थी को भारतीय तटरक्षक से सेवामुक्त किया जा सकता है।

15. **सामान्य दिशानिर्देश: - (जिनका पालन अभ्यर्थी द्वारा किया जाए अन्यथा ,अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी)**

15.1 अनुशासनिक आधार पर किसी अन्य सरकारी सेवा प्रशिक्षण केंद्र से हटाए गए अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होगें।

15.2 जिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, दोषी नहीं ठहराया गया है या जिनके खिलाफ किसी भी न्यायालय या कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष आपराधिक कार्यवाही, जांच, पूछताछ या मुक़दमा लंबित है, उन्हें आवेदन पत्र तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थियों को अपने खिलाफ दर्ज किसी भी एफआईआर का विवरण भी देना होगा, चाहे मामले में दोषसिद्धि हुई हो या नहीं। ऐसी किसी भी जानकारी को दबाने अथवा छिपाने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

15.3 भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है या आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उसे निर्धारित माध्यम से भारतीय तटरक्षक को तुरंत सूचित करना होगा। ऐसी सूचना न देने, गलत या अपूर्ण जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है । नामांकन के बाद भी ऐसी सूचना छिपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने का मामला ध्यान में आने पर अभ्यर्थिता रद्द करने की यह प्रक्रिया भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में भी की जा सकती है।

15.4 चरण-II के दौरान प्रस्तुत सभी मूल प्रमाणपत्र एवं अंकसूचियाँ सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा चरण III-उत्तीर्ण होने पर, चरण-III के दौरान प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेज एवं

अंकसूची, चरण ।।।-उत्तीर्ण होने पर भारतीय तटरक्षक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा अनुत्तीर्ण घोषित होने पर सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे।

15.5 किसी विशेष बैच के लिए अभ्यर्थी का चयन केवल उसी बैच के लिए वैध होगा। ऐसे अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम चयन सूची में न हो, अगले बैच में प्रवेश का दावा नहीं कर सकते । ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में नए सिरे से सम्मिलित होना होगा बशर्तें वे नए बैच के लिए पात्रता मानदंड पूरा करें।

15.6 डाक द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

15.7 चरण-।। में अर्हता प्राप्त कर चुके एवं रिक्तियों के अनुसार मेरिट में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को ही चरण-।।। के लिए ई-प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके चरण-।।। के ई-प्रवेश पत्र में दी गई तिथि को प्रशिक्षण संस्थान अर्थात भा.नौ.पो. चिल्का में स्वयं के व्यय पर पहुँचना होगा। किसी भी आधार पर देरी से रिपोर्ट करना स्वीकार्य नहीं है।

15.8 **31 दिसंबर 2027** के बाद इस बैच की भर्ती/नामांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा।

15.9 परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीन गतिविधियों जिसमें नकल/अनाचार शामिल हैं, में लिप्त होने का परिणाम निरर्हता होगा। नकल/अनाचार संबंधी मामलों में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्य रहेगा।

15.10 भारतीय तटरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतिरूपण को बहुत गंभीरता से लेता है। आवेदक तथा जाली अभ्यर्थी दोनों के विरुद्ध एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

15.11 किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या परीक्षा परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले अभ्यर्थी को भारतीय तटरक्षक की वर्तमान तथा आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण –I) में प्रवेश/मूल्यांकन परीक्षा/शारीरिक स्वस्थता परीक्षा/ भर्ती चिकित्सा (चरण-II), दस्तावेज़ सत्यापन/भा.नौ.पो. चिल्का में पूर्व नामांकन चिकित्सा परीक्षा (चरण –III), मूल दस्तावेजों का सत्यापन (स्टेज-IV) या अन्यथा के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी पर बाध्य रहेगा। अभ्यर्थी जिनकी अभ्यर्थिता पिछले बैच में कदाचार/दुर्व्यवहार के कारण रद्द कर दी गई थी, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं।।

15.12 नामांकन से पूर्व, आवेदन तथा मूल दस्तावेजों की आगे पात्रता के लिए संवीक्षा की जाएगी तथा यदि भर्ती के किसी भी चरण में और सेवा में शामिल होने के बाद भी किसी भी रूप से अभ्यर्थी अपात्र पाया गया तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15.13 ऐसे 'मुक्त विद्यालय' जो एआईसीटीई/ सीओबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं हैं के अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।

15.14 सफलतापूर्वक शुल्क अदा कर (अजा/अजजा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त है को छोड़कर) सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन में दी गई

प्राथमिकताओं के अनुसार परीक्षा के लिए शहर आंवटित किया जाएगा। यदि एक ही परीक्षा केंद्र के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो तटरक्षक अभ्यर्थी को किसी भी अन्य परीक्षा केंद्र को आंवटित करने का अधिकार रखता है चाहे वह अभ्यर्थी की प्राथमिकता सूची में शामिल हो या नहीं।

15.15 किसी एक केंद्र में परीक्षा निरस्त करने एवं उस परीक्षा को किसी अन्य केंद्र में किसी अन्य तिथि में कराने का अधिकार भारतीय तटरक्षक के पास सुरक्षित है ।

15.16 **इस बैच के किसी भी परीक्षण, किसी भी चरण अथवा संपूर्ण भर्ती को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार भारतीय तटरक्षक के पास सुरक्षित है ।**

15.17 परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन तथा अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी भी सामग्री का अभ्यर्थी के पास होना भारतीय तटरक्षक द्वारा अनुचित साधन माना जाता है। यदि परीक्षा के चरण-I,II एवं III के दौरान किसी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ या इसी प्रकार के किसी दूसरे रिकॉर्डिंग/स्केनिंग/श्रवण/कैप्चरिंग उपकरण इत्यादि के साथ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी तथा विधि के अनुसार तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जिसमें प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल है ।

15.18 भारतीय तटरक्षक किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण को सुरक्षित रखने की गारंटी नहीं ले सकता। लिखित परीक्षा शुरू होने के बाद और बायोमैट्रिक की पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात अभ्यर्थियों को किसी भी कारणवश परीक्षा स्थान/कक्ष छोड़ने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.19 परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी।

15.20 सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सावधान रहें तथा किसी भी अभ्यर्थी की संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी तुरंत निरीक्षक के ध्यान में लाएं।

15.21 सफल ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। भारतीय तटरक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के साथ संचार केवल ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है, कि भर्ती कार्यक्रम में परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए स्वयं की लॉगिन आईडी एवं पंजीकृत ईमेल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। भर्ती संबंधित जानाकारी का नियमित रूप से अवलोकन न करने के कारण अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती चरणों में अनुपस्थित हो सकता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ईमेल तथा अपडेट का प्रत्युत्तर न देने से अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। यदि अभ्यर्थी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं का दैनिक आधार पर अवलोकन करने में असफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

15.22 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में असत्य जानकारी की गलती को स्वीकार करने वाले विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र पर भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

15.23 अभ्यर्थियों को अपना यथा लागू जाति संबंधी विवरण (अजा/अजजा/अपिव (नॉन- क्रीमी) ईडबल्यूएस) ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में जाति के गलत विवरण घोषित किए थे और बाद में भारतीय तटरक्षक तटरक्षक से लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा के आधार पर यह अनुमत्य नहीं है और परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं सेवा मे शामिल होने के बाद भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी।

15.24 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ही समय पर आवेदन करें।

15.25 चरण-I,II एवं III के ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित तिथि एवं समय पर रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी।

15.26 अंतिम तिथि के भीतर अथवा किसी अन्य कारण से अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय तटरक्षक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

15.27 परीक्षा के संचालन में प्रशासनिक/तकनीकी/संभारिकी में कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो परीक्षा और/या उसके परिणाम तैयार करने को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में ऐसी समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी इत्यादि शामिल हो सकता है। पुन: परीक्षा का आयोजन भारतीय तटरक्षक/परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। अभ्यर्थी पुन: परीक्षा हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थी आवागमन के अनिच्छुक है अथवा परीक्षा की विलंबित प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा।

15.28 कृपया नोट करें कि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसका प्रकाशन केवल www.ssc.gov.in पर किया जाएगा और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करना होगा। यदि अभ्यर्थी वेबसाइट पर जारी शुद्धिपत्र का अवलोकन करने से चूकता है और तदनुसार कार्य नहीं करता है या आवश्यक शुद्धिपत्र का अनुपालन नहीं करता है तो उस स्थिति में भारतीय तटरक्षक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

15.29 अभ्यर्थी को पोर्टल पर बहुधा पूछे गये प्रश्नों की जांच करना चाहिए, तथा ऑनलाईन आवेदन करते समय व परीक्षा के विभिन्न चरणों में उसका अनुपालन करना चाहिए।

15.30 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय दर्ज किए गए मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी को स्मरण रखना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी के साथ पत्राचार केवल ई-मेल आईडी या एसएमएस माध्यम से ही किया जाएगा। आवेदन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर केवल कूट भाषा (एनक्रिप्टेड रूप) में ही दिखाई देंगे।

15.31 चरण-॥ के लिए तिथि एवं केंद्र के चयन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज अपलोड नही किया जा सकेगा। भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा में दस्तावेजों के अपलोड होने तथा तिथि एवं केंद्र के चयन में विफलता के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

15.32 जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वैधता {श्रेणी प्रमाण पत्र अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस} चरण-॥ तथा चरण-III से पहले समाप्त हो रही है, उन्हें चरण-॥ तथा चरण-III के लिए उपस्थित होते समय पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाना होगा। पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाने में विफलता अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगी।

15.33 यदि अभ्यर्थी धोखाधड़ी से अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं अथवा अन्य जाली लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित वर्तमान परीक्षाओं के साथ ही साथ भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

15.34 चरण-॥ के बाद भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ईमेल और लॉगिन डैशबोर्ड को नियमित रूप से दैनिक आधार पर देखते रहे। यदि अभ्यर्थी लॉगिन डैशबोर्ड/ ईमेल पर भारतीय तटरक्षक द्वारा पोस्ट की गई अपडेट की जांच करने में विफल रहता है तो अलग से कोई संचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

15.35 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए अपने मूल दस्तावेज साथ लायें।

15.36 किसी भी परिस्थिति में आगे के चरणों में जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा किसी भी स्तर पर गलत जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

15.37 ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन के प्रिंट पूर्वावलोकन का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाना चाहिए कि उनका आवेदन सभी पहलुओं (आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता तिथि, श्रेणी प्रमाणपत्र विवरण आदि) में सही है तथा विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन में अस्वीकार नहीं होगा। इस सुविधा का उपयोग ऑनलाइन अंतिम सबमिशन से पहले कितनी भी बार किया जा सकता है।

15.38 पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में केवल कुछ फील्ड को संपादित/सुधार करने के लिए 02-03 दिनों की अवधि के लिए संपादन/सुधार विंडो प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन भरते समय की गई गलतियों को सुधारने के लिए संपादन विंडो का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज़ (ऑनलाइन आवेदन चरण-। तथा ॥ में) तथा चरण-॥ में भौतिक सत्यापन हेतु नाम, जन्मतिथि, माता -पिता के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जो भी लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

15.39 आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के लिए पहले विकल्प के रूप में अनिवार्य रूप से आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यदि अभ्यर्थी बिना आधार कार्ड के है तथा भर्ती के आगे के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो अभ्यर्थी को आधार कार्ड तथा आधार कार्ड

से जुड़ा मोबाइल नंबर सुनिश्चित करना होगा क्योंकि बैंक खाता खोलने तथा चरण-III में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है।

15.40 भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल होने के कारण किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं हैं।

15.41 प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको विवाह करने या विवाह अनुबंध करने/अपने साथ परिवार रखने की अनुमति नहीं होगी।

16. **यात्रा भत्ता:-** अजा/अजजा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, जो केंद्र/राज्य सरकार में कार्यरत नहीं हैं, को ट्रेन के साधारण दूसरे दर्जे का किराया/सरकारी बस/स्टीमर के द्वारा निकटतम दूरी से तय यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि अभ्यर्थी का गृहस्थान, परीक्षण के स्थान (चरण-II) से 30 किमी से अधिक की दूरी पर हो। अजा/अजजा अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट से यात्रा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा और भारतीय तटरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। **यात्रा भत्ते का प्रावधान भर्ती प्रक्रिया के केवल चरण-II के आयोजन के लिए है। यदि चरण-II के दौरान यात्रा भत्ते के लिए दावा नहीं किया गया तो आगे के चरणों में दावा नहीं किया जा सकता।**

17. **वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ: -**

17.1 **यांत्रिक.** मूल वेतन 29200/- (वेतन लेवल-5) के अतिरिक्त, यांत्रिक वेतन @ रु. 6200 के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

17.2 **नाविक (जनरल ड्यूटी)** मूल वेतन 21700/- (वेतन लेवल-3) के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

17.3 **नाविक (घरेलु शाखा)** मूल वेतन 21700/- (वेतन लेवल-3) के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

17.3 **हाइजीनिस्ट –I** मूल वेतन 21700/- (वेतन लेवल-3) के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

18. **पदोन्नति एवं अनुलब्धियां:-**

18.1 पदोन्नति के अवसर **प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर/हाइजीन सुपरवाईजर** की रैंक तक उपलब्ध है। अफसर संवर्ग में पदोन्नति, विषय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार सेवा में रहते हुए उपयुक्तता तथा निष्पादन के अधीन है।

18.2 **अन्य लाभ**

18.2.1 वर्तमान नियमों के अनुसार नि: शुल्क राशन एवं वर्दी। सैन्य अस्पतालों में स्वयं तथा आश्रित अभिभावकों सहित परिवार हेतु मुफ्त चिकित्सा उपचार।

18.2.2 सरकारी आवास/मकान किराया भत्ता।

18.2.3 प्रति वर्ष 45 दिन की अर्जित छुट्टी, 08 दिन की आकस्मिक छुट्टी, सरकारी नियमानुसार स्वयं, परिवार तथा आश्रित अभिभावकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

18.2.4 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) तथा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अनुसार पेंशन तथा वर्तमान विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी।

18.2.5 कैंटीन सुविधा (सीएसडी) एवं अन्य ऋण सुविधाएँ।

18.2.6 सेवानिवृत्ति के बाद ईसीएचएस मेडिकल सुविधाएँ।

18.2.7 **बीमा सुरक्षा** निश्चित अनिवार्य मासिक अंशदान पर नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा ₹75 लाख की बीमा सुरक्षा।

नोटः- सरकारी आदेशानुसार वेतन, अनुलब्धियों,पदोन्नति,बीमा सुरक्षा एवं अन्य हितलाभ में परिवर्तन किया जा सकता है।

19. सभी शाखाओं के कार्यों की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त विवरण पोर्टल पर दी गई जानकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी विज्ञापन के हिंदी संस्करण तथा संपूर्ण अद्यतित जानकारी के लिए तटरक्षक भर्ती वेबसाइट www.ssc.gov.in **देखें। यह केवल सांकेतिक विज्ञापन है। किसी भी न्यायालय में केवल अंग्रेजी विज्ञापन को ही आधार माना जाएगा, न कि हिंदी संस्करण को। हर स्थिति में हिंदी विज्ञापन की तुलना में अंग्रेजी संस्करण को ही प्राथमिकता दी जाएगी।**

चेतावनी: भारतीय तटरक्षक में चयन निष्पक्ष रूप से तथा मेरिट के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंट बनकर धोखाधड़ी करने वाले बेईमान व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के लिए अभ्यर्थी निदेशक (भर्ती), तटरक्षक मुख्यालय, भर्ती केंद्र, नोएडा से दूरभाष – 0120-2201340 पर संपर्क कर सकते हैं।

अस्वीकृतिकरण

विज्ञापन में दी गई शर्तें एवं नियम, दिशानिर्देश मात्र हैं तथा सरकार द्वारा जारी आदेश जिनका समय-समय पर संशोधन किया जाता है भर्ती प्रक्रिया के दौरान लागू होंगे।